आइये जाने...

अपनी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में

विभिन्न योजनाओं की जानकारी का संकलन

Azim Premji Philanthropic Initiatives

TRI TRANSFORM RURAL INDIA

अ म र्थ न

पुस्तक के बारे में

लोकतंत्र में शासन का मतलब है जनता की सरकार, जनता के लिये, जनता के द्वारा चलाया जाने वाले शासन। हमारे देश में जनता अपनी सरकार चलाने के लिये अपने प्रतिनिधि चुनती है और जनकल्याण के काम करने हेतु उन्हें सत्ता की बागडोर देती है।

ऐसी चुनी हुई सरकार का पहला दायित्व है कि वह जन कल्याण की अपेक्षाओं पर खरी उतरे। इसी जन कल्याण के उद्देश्य से समय–समय पर कल्याणकारी योजनायें बनाई जाती रही हैं ताकि इन योजनाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लाभ का वितरण कर आम जनता के जीवन को खुशहाल बनाया जा सके।

वर्तमान में देश में सैकड़ों ऐसी योजनायें संचालित हैं और कई नई योजनाएं भी जुड़ती जा रही हैं। लेकिन इन योजनाओं की पूरी जानकारी आम जनता को नहीं होती और न ही सभी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिल पाता है। जिसका प्रमुख कारण लोगों में योजनाओं से मिलने वाले लाभों एवं लाभ प्राप्त करने की प्रक्रियाओं की जानकारी का अभाव है।

समर्थन–सेंटर फार डेवलपमेंट सपोर्ट, लंबे समय से समुदाय के कल्याण हेतु काम कर रही है। इस दौरान यह अनुभव हुआ कि विभिन्न योजनाओं को एक जगह पर संकलित करने की आवश्यकता है। यह पुस्तक इसी उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में एक प्रयास है ताकि आम लोग इससे अपने हित की योजनाओं को समझकर उसका लाभ प्राप्त करने की पहल कर अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। आशा है यह संकलन आपके लिये उपयोगी साबित होगा।

विषय सूची

भाग–1 शिक्षा एवं शिक्षा प्रोत्साहन से जुड़ी योजनायें		**1**
1.1	अल्पसंख्यक प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2
1.2	निःशुल्क सायकल प्रदाय योजना	2
1.3	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	3
1.4	आदिवासी विद्यार्थी कल्याण योजना	3
1.5	पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति (11वी, 12वी एवं महाविद्यालय)	4
1.6	अनुसूचित जाति विद्यार्थी कल्याण योजना	5
1.7	समग्र छात्रवृत्ति वितरण योजना	5
1.8	लेपटॉप प्रदाय योजना	6
1.9	विकलांग छात्रवृत्ति	6
1.10	निःशुल्क स्टेशनरी व पाठ्य पुस्तक वितरण	6
1.11	मुख्यमंत्री मेघावी विद्यार्थी योजना	7
1.12	मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना	7
1.13	महर्षि बाल्मीकि योजना	8
1.14	आवास योजना	8
भाग–2 स्वास्थ्य संबंधी योजनायें		**9**
2.1	आयुष्मान भारत योजना	10
2.2	लालिमा अभियान	12
भाग–3 कृषि एवं कृषक कल्याण योजनायें		**13**
3.1	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	14
3.2	संरक्षित खेती	15
3.3	सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना	15
3.4	फल पौधरोपण योजना	16
3.5	प्लास्टिक लाईनिंग आफ फार्म पौंण्ड	16
3.6	जैविक खेती को बढ़ावा	17
3.7	बी.पी.एल. किचनबाड़ी विकास योजना	17
3.8	मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना	18
3.9	नील क्रांति योजना	19
3.10	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	19
3.11	स्वाईल हेल्थ कार्ड योजना	20
3.12	सब मिशन आन शीड एण्ड प्लाटिंग मटेरियल (बीज ग्राम योजना)	20
3.13	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	21
3.14	सब मिशन आन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन योजना	21
3.15	परंपरागत कृषि विकास योजना	22
3.16	कृषक प्रशिक्षण	22
3.17	अन्नपूर्णा योजना	23
3.18	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	23

भाग–4 रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु योजनायें 27

4.1 ग्रामीण कामगार सेतु योजना 28
4.2 डेयरी उद्योगिता विकास योजना–नाबार्ड 29
4.3 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 30
4.4 अनुदान व बैंक ऋण पर बकरी ईकाई योजना 31
4.5 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 31
4.6 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 32
4.7 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 32
4.8 सावित्रीबाई फुले स्व सहायता योजना 33
4.9 मनरेगा 34

भाग–5 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम–सामाजिक सुरक्षा पेंशन 35

5.1 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 36
5.2 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 36
5.3 सामाजिक सुरक्षा दिव्यांग पेंशन योजना 37
5.4 सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना 37
5.5 सामाजिक सुरक्षा अविवाहित पेंशन योजना 38
5.6 सामाजिक सुरक्षा निराश्रित वृद्धावस्था पेंशन योजना 39
5.7 मानसिक/बहु विकलांग सहायता योजना 39
5.8 सामाजिक सुरक्षा परितक्त्या पेंशन योजना 40
5.9 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 40
5.10 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना 41
5.11 मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 42

भाग–6 महिला एवं बाल हित की योजनायें 43

6.1 प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 44
6.2 लाड़ली लक्ष्मी योजना 45
6.3 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 47
6.4 समेकित बाल विकास परियोजना 47
6.5 वन स्टॉप सेंटर 49
6.6 सुकन्या समृद्धि योजना 50
6.7 जननी सुरक्षा योजना 51
6.8 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 51
6.9 गांव की बेटी योजना 52

भाग–7 निजी अधोसंरचना निर्माण 53

7.1 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 54
7.2 प्रधानमंत्री आवास योजना 54

भाग–8 अन्य महत्वपूर्ण योजनायें 55

8.1 मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 56
8.2 इंदिरा गृह ज्योति योजना 61
8.3 प्रधानमंत्री जन धन योजना 61

भाग -1

शिक्षा एवं शिक्षा प्रोत्साहन से जुड़ी योजनायें

1.1 अल्पसंख्यक प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

योजना का क्रियान्वयन : पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
योजना प्रारम्भ दिनांक : 1 जुलाई 2013

योजना का विवरण	कक्षा 1 से 10 वी तक के विद्यार्थियो के लिए प्रति परिवार अधिकतम 2 बच्चे इस छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते है।
लाभार्थी	▸ छात्र 50 प्रतिशत से अधिक अंक से कक्षा उत्तीर्ण हो। ▸ परिवार की वार्षिक आय 1 लाख तक होना चाहिये। ▸ अल्प संख्यक वर्ग का होना चाहिये।
लाभ	कक्षा 1 से 5 वी तक 1000 रुपये एवं कक्षा 6 से 10 वी तक अधिकतम 5000 रुपये स्वीकृत किए जाते है।
आवेदन कैसे करें	भारत सरकार के पोर्टल https://scholarships-gov-in/ पर फार्म आनलाईन किया जाता है एवं छात्रवृत्ति स्वीकृत होने पर राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते मे जमा होती है।

1.2 नि:शुल्क सायकल प्रदाय योजना

योजना का क्रियान्वयन : शिक्षा विभाग
योजना प्रारम्भ दिनांक : 1 जुलाई 2007

योजना का विवरण	कक्षा 8वी उत्तीर्ण कर अपने ग्राम की शाला में कक्षा 9वी न होने की स्थिति में पास के ग्राम में कक्षा 9वी में प्रवेश लेने पर एवं जिन विद्यार्थियों की बसाहटो में हाईस्कूल पढाई की सुविधा है पर बसाहट से हाईस्कूल की दूरी 2 किमी होने पर भी सभी छात्रों को नि:शुल्क सायकल प्राप्त होती है।
लाभार्थी	उपरोक्त पात्रता अनुसार सभी वर्ग के बच्चों को लाभ दिया जाता है।
लाभ	नि:शुल्क सायकल प्राप्त होती है। सायकल प्राप्ति हेतु शाला द्वारा संपूर्ण कार्यवाही ऑनलाईन पोर्टल पर की जाती है।
आवेदन कैसे करें	विद्यार्थी की समग्र आई.डी. के आधार पर ऑनलाइन सायकल प्राप्त/अप्राप्त होने की पात्रता निर्धारित होती है। पात्र होने पर स्कूल द्वारा स्वतः सायकल प्रदाय की जाती है।

1.3 मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

योजना का क्रियान्वयन : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/07/1995

योजना का विवरण	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय व स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप क्रियान्वित किया जाता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इसका नोडल विभाग है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम भारत सरकार एवं राज्य शासन के संयुक्त संसाधनों से क्रियान्वित किया जाता है। मध्यप्रदेश में मध्यान्हक भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन वर्ष 1995 से प्रारंभ किया जा रहा है। योजना की शुरूआत में भोजन के रूप में कच्चाम राशन दिया जाता था। वर्ष 2001 में पके हुए भोजन के रूप में दलिया व खिचड़ी का वितरण किया जाता था। वर्ष 2004 से मेनू अनुसार रूचिकर भोजन प्रदाय किया जाने लगा। वर्ष 2008 से म.प्र. के सभी शासकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में मध्योन्ह् भोजन का वितरण किया जा रहा है।
लाभार्थी	शासकीय एवं अनुदान प्राप्त सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल में शिक्षारत सभी बच्चे।
लाभ	स्कूल में मध्यान्ह भोजना प्राप्त होता है।
आवेदन कैसे करें	स्कूल में प्रवेश लेना होगा एवं नियमित स्कूल जाना होगा।

1.4 आदिवासी विद्यार्थी कल्याण योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : आदिम जाति कल्याण विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/11/1984

योजना का विवरण	इस योजना के तहत अध्ययनरत् कक्षा 1 से 12 तक तथा महाविद्यालय के विद्यार्थियों को विशिष्ट परिस्थितियों में आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए संस्था प्रमुख की अनुसंशा पर 1000/– से 10000/– तक की सहायता प्रदान की जाती है। छात्रावास/आश्रम/ शैक्षणिक संस्था में निवासरत् रहते हुए विद्यार्थी की मृत्यु होने पर रूपये 25000/– तक की सहायता कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जा सकती है।
लाभार्थी	अजजा वर्ग के विद्यार्थी
लाभ	आकस्मिक आवश्यजकता पूर्ति हेतु सहायता राशि एवं मृत्युद की स्थिति में अनुग्रह राशि दी जाती है।
आवेदन कैसे करें	विद्यार्थी को अपना आवेदन संस्था प्रधान अथवा विभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। संस्था प्रधान स्वयं पहल कर विद्यार्थी को लाभान्वित कर सकते हैं। ''मध्यप्रदेश शासन के ट्रायबल पोर्टल पर उल्लेख अनुसार।

1.5 पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11वी, 12 वी एवं महाविद्यालयीन)

योजना का क्रियान्वयन : अनुसूचित जाति विकास विभाग
योजना प्रारम्भ दिनांक : 01/04/1998

योजना का विवरण

कक्षा 11वी, 12वी तथा विभिन्न महाविद्यालयों / तकनीकी संस्थाओं/ मेडिकल कालेज में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के तहत वर्ग वार निर्धारित आय सीमा अनुसार तथा पात्रता की शर्तें पूरी करने पर निम्नानुसार पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

क्र	वर्ग	कक्षा/संकाय	छात्रवासी		गैर छात्रावासी	
			छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1	अजा	11वी, 12वी	380	380	230	230
2	अजा स्नातक	प्रथम वर्ष	380	380	230	230
3	अजा स्नातक	द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	570	570	300	300
4	अजा स्नातकोत्तर	पूर्वार्द्ध उत्तरार्द्ध	820	820	530	530
5	अजा	पालीटेक्निक	380	380	230	230
6	अजा	मेडिकल/इंजीनियरिंग	1500	1500	550	550

अशासकीय महाविद्यालयों मे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु उनके अभिभावकों की वार्षिक आय रू. 2.50 लाख होने पर पूरा निर्वाह भत्ता एवं पूरी फीस तथा वार्षिक आय रू. 2.50 लाख से 6.00 लाख तक होने पर आधी फीस देय है निर्वाह भत्ता देय नही है। शासकीय महाविद्यालयों/स्ववित्तीय महाविद्यालयों मे अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय का बंधन समाप्त नही है।

लाभार्थी

उपरोक्त पात्रता अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के सभी विद्यार्थी

लाभ

निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति

आवेदन कैसे करें

महाविद्यालयीन विद्यार्थी को अपना आवेदन निर्धारित सहपत्रों सहित आनलाईन विभागीय स्कावलरशिप 2.0 पोर्टल पर संस्था प्रमुख को प्रस्तुत करना होता है। http://scholarshipportal.mp.nic.in/Index.aspx

1.6 अनुसूचित जाति विद्यार्थी कल्याण योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : अनुसूचित जाति विकास विभाग
योजना प्रारम्भ दिनांक : 1/08/1984

योजना का विवरण	योजना के तहत अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक तथा महाविद्यालय के विद्यार्थियो को विशिष्ट परिस्थितियो मे आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए संस्था प्रमुख की अनुसंशा पर 1000/– से 10000/– तक की सहायता प्रदान की जाती है। छात्रावास/आश्रम/शैक्षणिक संस्था में निवासरत रहते हुए मृत्यु होने पर रूपये 25000/– तक की सहायता कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जा सकती है।
लाभार्थी	अनुसूचित जाति के विद्यार्थी
लाभ	आकस्मिक आवश्योकता पूर्ति हेतु सहायता राशि एवं मृत्युद की स्थिति में अनुग्रह राशि दी जाती है।
आवेदन कैसे करें	विद्यार्थी को अपना आवेदन संस्था प्रधान अथवा विभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। संस्था प्रधान स्वयं पहल कर विद्यार्थी को लाभान्वित कर सकते है। ''मध्यप्रदेश शासन के अनुसूचित जाति विकास पोर्टल के योजनाऐं'' वाले भाग पर उल्लेख अनुसार। http://scdevelopmentmp.nic.in/Default-aspx

1.7 समग्र छात्रवृत्ति वितरण योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : शिक्षा विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/07/2013

योजना का विवरण	यह योजना म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2013–14 से लागू की गई है। समग्र छात्रवृत्ति के लिये म.प्र. के 09 विभागो की 30 प्रकार की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु शिक्षा विभाग को नोडल बनाया गया है। 30 प्रकार की छात्रवृत्ति के लिये अलग–अलग मापदण्ड निर्धारित है तथा संबंधित संकुल प्राचार्य द्वारा मापदण्ड अनुसार चयन कर पोर्टल पर नामांकन एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही की जाती है।
लाभार्थी	जातिवार अलग–अलग छात्रवृत्ति एवं छात्रवृत्ति प्रकार अनुसार प्रदाय की जाती है।
लाभ	पात्रतानुसार छात्रवृत्ति की राशि हितग्राही के खाते में प्रदान की जाती है।
आवेदन कैसे करें	शाला स्तर पर क्लास टीचर अथवा छात्रवृत्ति प्रभारी द्वारा संपूर्ण कार्यवाही तैयार की जाती है।

1.8 लेपटॉप प्रदाय योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : शिक्षा विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/07/2013

योजना का विवरण	शासकीय उमावि या म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय से कक्षा 12वी में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लेपटॉप क्रय हेतु 25,000 रूपये की राशि प्रदाय की जाती है।
लाभार्थी	विद्यार्थी जिन्होंतने कक्षा 12वी की परीक्षा 80 प्रतिशत या इससे अधिक अंक से उत्तीार्ण की हो।
लाभ	रू. 25,000/—लेपटॉप क्रय हेतु
आवेदन कैसे करें	संबंधित स्कूल प्रबंधन द्वारा संपूर्ण कार्यवाही कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजी जाती है।

1.9 विकलांग छात्रवृति

योजना क्रियान्वयन विभाग : सामाजिक न्याय विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/07/1958

योजना का विवरण	योजना केवल विकलांग छात्र/छात्राओं के लिए हैं।
लाभार्थी	40 प्रतिशत से अधिक विकलांग विद्यार्थी।
लाभ	छात्र छात्राओं को 2000 प्रतिवर्ष उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदान किये जाते हैं।
आवेदन कैसे करें	छात्र/छात्राओं को संबंधित महाविद्यालय में ऑफलाईन आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जमा कराना होता हैं।

1.10 नि:शुल्क स्टेशनरी एवं पाठ्यपुस्तक वितरण

योजना क्रियान्वयन विभाग : शिक्षा विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 05/11/2012

योजना का विवरण	नि:शुल्क स्टेशनरी एवं पाठ्यपुस्तक वितरण योजना
लाभार्थी	शासकीय महाविद्यालय के नियमित सभी अजा/जनजाति संवर्ग के विद्यार्थीगण
लाभ	500 रूपए तक नि:शुल्क स्टेशनरी एवं 1500/— रूपए तक का पाठ्यपुस्तक लाभ
आवेदन कैसे करें	विद्यार्थी शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेकर पुस्तरकालय से नि:शुल्क स्टेशनरी एवं पुस्तकें प्राप्त कर सकते है।

1.11 मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : उच्च शिक्षा विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/07/2017

योजना का विवरण	मेधावी विद्यार्थियों को उच्चस शिक्षा शुल्के में छूट प्रदान की जाती है।
लाभार्थी	1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। 2. विद्यार्थी ने12वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल से न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक एवं सीबीएसई/आईसीएससी से न्यूनतम 85 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण की हो। 3. पिता /पालक की वार्षिक आय6.00 लाख रूपए से कम हो।
लाभ	राज्य शासन के सभी कॉलेज एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में बीएससी, बीए, बीकाम, तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की शुल्क का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाता है।
आवेदन कैसे करें	पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in/ पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा।

1.12 मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : तकनीकी शिक्षा कौशल विकास, उच्च शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
योजना प्रारम्भ दिनांक : 01/04/2018

योजना का विवरण	जिन विद्यार्थियों के माता/पिता, श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीबद्ध हो, ऐसे विद्यार्थियों को स्नामतक/पॉलीटेक्निक डिप्लोमा/आईटीआई पाठयक्रमों में प्रवेश प्राप्ति करने पर शिक्षण शुल्कि राज्यठ सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
लाभार्थी	श्रम सेवा के पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार की संतान हो। शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हो।
लाभ	शैक्षणिक शुल्कों (कॉशन मनी एवं मेस शुल्क छोड़कर) में पूर्ण छूट। प्रवेश लेते समय कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
आवेदन कैसे भरें	प्रवेश के समय माता–पिता का पंजीयन कार्ड सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा या सत्यापनकर्ता अधिकारी पोर्टल http://shramiksewa.mp.gov-in/ से सत्यापन करेगा। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पोर्टल http://scholarshipportal-mp-nic-in/Index.aspx पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना अनिवार्य होगा।

1.13 महर्षि वाल्मीकि योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
योजना प्रारम्भ दिनांक : 01/06/2016

योजना का विवरण	राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा जेईई, नीट, क्लेट आदि मे चयनित विद्यार्थियों कोपरिवार की सालाना आय 3 लाख रूपये तक होने पर 50हजार और 3 लाख से अधिक होने पर 25 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
लाभार्थी	अनुसूचित जातिवर्ग के विद्यार्थी
लाभ	उपरोक्त निर्धारित दर पर प्रोत्साहन राशि
आवेदन कैसे करें	विद्यार्थी को अपना आवेदन समस्त सहपत्रों सहित विभागीय जिला अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। 'मध्यप्रदेश शासन के अनुसूचित जाति विकास पोर्टल में योजनाऐं विकल्पस का चयन कर महिर्ष वाल्मीतकि योजना का चयन करना होगा। पोर्टल की लिंक http://scdevelopmentmp.nic.in/Default.aspx है।

1.14 आवास योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : आदिम जाति कल्याण विभाग
योजना प्रारम्भ दिनांक : 01/11/2013

योजना का विवरण	अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जो अपने मूल निवास से दूर किसी महाविद्यालयों में अध्ययनरत हों और किराये का मकान लेकर रहते हों उन्हेंर सहायता राशि प्रदान की जाती है। संभाग स्तर पर 2000 रूपये, जिला स्तर पर 1250 रूपये तथा ब्लाक/तहसील मुख्यालय स्तकर पर 1000 रूपयेप्रतिमाह प्रदान किये जाते हैं। योजना के लाभ की पात्रता पोस्ट–मैट्रिकछात्रवृत्ति के अनुसार है।
लाभार्थी	अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी
लाभ	निर्धारित दर पर आवास सहायता
आवेदन कैसे करें	विद्यार्थी को अपना आवेदन निर्धारित सहपत्रों सहित आनलाईन विभागीय MPTASS पोर्टल पर संस्था प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। https://www.tribal.mp.gov.in/mptaas

भाग -2

स्वास्थ्य संम्बंधी योजनायें

2.1 आयुष्मान भारत योजना (निरामयम)

योजना क्रियान्वयन विभाग : स्वास्थ्य विभाग
योजना प्रारम्भ दिनांक : 23/09/2018

आयुष्मान भारत के तहत दूसरा घटक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जिसे लोग (पीएम–जय) के नाम से जानते हैं। यह योजना 23 सितंबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची, झारखंड से शुरू की गई।

आयुष्मान भारत (पीएम–जय) दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। जिसका उद्देश्य माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब और वंचित परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों) को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराना है जो भारतीय आबादी का लगभग 40% हिस्सा है। (पीएम–जय) को पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS) के नाम से जाना जाता था। पूर्ववर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) जिसकी शुरूआत 2008 में हुई थी, इसका भी पीएम–जय योजना में विलय कर दिया गया है। इसलिए पीएम–जय के तहत उन परिवारों को भी शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी थे, लेकिन SECC 2011 के डेटाबेस में मौजूद नहीं हैं। पीएम–जय पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त–पोषित योजना है जिसके कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा वहन की जाती है।

लाभार्थी
गरीबी रेखा से नीचे के परिवार

मिलने वाला लाभ
योजना में पात्र रोगी के उपचार हेतु जिला स्तर से 1लाख, संभाग स्तर से 1 से 2 लाख तक तथा 2 लाख से अधिक होने पर राज्यक स्तुर से भुगतान किया जाता है।

आवेदन कैसे करें
अस्पताल से उपचार के लिए अनुमानित राशि का दस्तावेज़ और बीपीएल दस्तावेजों के साथ सीएमएचओ के कार्यालय में आवेदन करें।

आयुष्मान भारत योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
अस्पताल में दाखिल होने से लेकर इलाज तक का सारा खर्च इस योजना में कवर किया जायेगा। आयुष्मान भारत योजना (एबीवाई) में अस्पताल में दाखिल होने से पहले और बाद के खर्च भी कवर किये जायेंगे।योजना के तहत इलाज हेतु चयनित हर अस्पताल में एक आयुष्मान मित्र नियुक्त होगा। वह मरीज को अस्पताल की सुविधाएं दिलाने में मदद करेगा।

आयुष्मान भारत योजना की पात्रता
सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के हिसाब से ग्रामीण इलाके के 8.03 करोड़ परिवार और शहरी इलाके के 2.33 करोड़ परिवार आयुष्मान भारत योजना (एबीवाई) के दायरे में है। आयुष्मान भारत योजना (ABY) में हर परिवार को सालाना पांच लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा है।

आयुष्माजन भारत योजना की मुख्य विशेषताएं

- योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त–पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है।
- योजना भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की धन राशि लाभार्थियों कोमुहैया कराती है।
- 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब व वंचित परिवार (या लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकतें हैं।

- योजना "अस्पतालों" में लाभार्थी को स्वास्थ्य सेवाएँ निःशुल्क प्रदान करती है।
- योजना चिकित्सा उपचार के खर्च को कम करने में मदद करती है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष लगभग 6 करोड़ परिवार, गरीबी की रेखा से नीचे पहुंच जाते हैं।
- योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का उपचारव दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध करायी जाती है।
- योजना के तहत परिवार के आकार, आयु या लिंग की कोई सीमा नहीं है।
- योजना के तहत पहले से मौजूद विभिन्न चिकित्सीय परिस्थितियों और गम्भीर बीमारियों को पहले दिन से ही शामिल किया जाता है।
- आयुष्मान भारत एक पोर्टेबल योजना है यानी की लाभार्थी इसका लाभ पूरे देश में किसी भी सरकारी या निजी सूचीबद्ध अस्पताल में उठा सकते हैं।
- योजना में लगभग 1,393 प्रक्रियाएं और पैकेज शामिल हैं जैसे की दवाइयाँ, आपूर्ति, नैदानिक सेवाएँ, चिकित्सकों की फीस, कमरे का शुल्क, ओ–टी और आई–सी–यू शुल्क इत्यादि जो मुफ़्त दी जाती हैं।
- स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी अस्पतालों की प्रतिपूर्ति सार्वजनिक अस्पतालों के बराबर की जाती है।

पीएम–जय के तहत लाभ

भारत में कई सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं, जिनके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में प्रति परिवार 30 हजार रुपये से लेकर 3 लाखरुपये तक की धन राशि मुहैया कराई जाती थी जो असमानता उत्पन्नम करती थीं। आयुष्मा न भारत योजना समस्त लाभार्थियों को सूचीबद्ध माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5लाख रुपये मुहैया कराती है। इस योजना के तहत निम्नलिखित उपचार निःशुल्क उपलब्ध हैं।

- चिकित्सिक परीक्षा, उपचार और परामर्श
- अस्पताल में भर्ती से पूर्व ख़र्चा
- दवाइयाँ और चिकित्सा उपभोग्य
- गैर–गहन और गहन स्वास्थ्य सेवाएँ
- नैदानिक और प्रयोगशाला जांच
- चिकित्सा आरोपण सेवाएं (जहां आवश्यक हो)
- अस्पताल में रहने का ख़र्चा
- अस्पताल में खाने का ख़र्चा
- उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताएँ
- अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक की देखभाल

इस योजना में प्रतिवर्ष 5 लाखरुपये का लाभ पूरे परिवार को मिलता हैअर्थात इसका उपयोग परिवार के एक या सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्री य स्वास्थ्यै बीमा योजना के तहत पाँच सदस्यों की पारिवारिक सीमा थी। इन योजनाओं से सीख लेते हुएआयुष्मा्न भारतकी संरचना इस प्रकार की गई है कि परिवार के आकार या सदस्यों की उम्र पर कोई सीमा नहीं है। पहले से मौजूद विभिन्नर बीमारियों को इस योजना में पहले दिन से ही शामिल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि आयुष्मानि भारत योजना में पंजीयन से पहले किसी भी क़िस्म की बीमारी या स्वास्थ्य से पीड़ित व्यक्ति सभी चिकित्सीय परिस्थितियों के लिएउपचारप्राप्त करने के लिए पहले दिन से ही पात्र होगा।

2.2 आयुष्मान भारत योजना (निरामयम)

योजना क्रियान्वयन विभाग : महिला एवं बाल विकास विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/11/2016

योजना का विवरण	विभाग द्वारा बच्चों, किशोरी बालिका एवं प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और एनीमिया की रोकथाम/किशोरियों में पोषण जागरूकता हेतु लालिमा योजना संचालित की जा रही हैं। बच्चों सहित किशोरियों, गर्भवती व धात्री माताओं में होने वाली खून की कमी (एनीमिया) को रोकने के लिए विभाग ने लालिमा अभियान शुरु किया है। अभियान के तहत किशोरी बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं व बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं को पोष्टिक आहार की जानकारी देनासाथ ही उन्हें स्वस्थ्य रहने के तरीके बताए जाते है। सही खानपान नहीं होने के कारण ही बड़ी संख्या में किशोरी व महिलाएं खून की कमी का शिकार हो रही हैं। मां कमजोर होगी तो उसके गर्भ में पलने वाला शिशु भी कमजोर पैदा होगा। अभियान के तहत आयरन फोलिक एसिड की गोलियां आंगनबाड़ियों, शैक्षिक संस्थाओं और अस्पतालों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। यह अभियान मिशन मोड पर संचालित है। जिसे महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग, आयुष और स्कूल शिक्षा विभाग के समन्विय से संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत एनीमिया को दूर करने के प्राकृतिक, परंपरागत और आधुनिक उपायों का भी प्रचार–प्रसार किया जाता है। उल्लेखनीय है कि एनीमिया महिलाओं, किशोरियों और बच्चों में एक आम स्वास्थ्य समस्या है। इस रोग से शरीर में खून की कमी हो जाती है।
लाभार्थी	● समस्त शाला जाने वाली एवं शाला त्यागी किशोरी बालिकाएं ● समस्त गर्भवती एवं धात्री महिलाएं ● समस्त 6 माह से 10 वर्ष के बच्चे ● समस्त प्रजनन आयु समूह (19 से 49 वर्ष) की महिलाएं हितग्राहियों की संख्या का निर्धारण महिला बाल विकास के आंगनवाडी केन्द्रों के सर्वे एवं पंजीकरण एवं स्कूल शिक्षा विभाग के आधार पर है।
हितग्राही को होने वाले लाभ	उपरोक्त सभी लक्ष्यित हितग्राहियों को एनीमिया से बचाव हेतु आयरन फोलिक एसिड की खुराक एवं बेहतर स्वास्थ्य हेतु मार्गदर्शन दिया जाता है।
योजना का लाभ कैसे लें	हितग्राहियों की संख्या का निर्धारण महिला बाल विकास के आंगनवाडी केन्द्रों के सर्वे एवं पंजीयन के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने हेतु कोई आवेदन फार्म प्रक्रिया नही है।

भाग -3

कृषि एवं कृषक कल्याण संबंधी योजनाएं

3.1 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM & KISAN)

योजना क्रियान्वयन विभाग : किसान कल्याण तथा कृषि विभाग
योजना प्रारम्भ दिनांक : 1/12/2018

उद्देश्य

प्रधानमंत्री किसान सम्माान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों को उनके निवेश और अन्य जरूरतों के लिए एक सुनिश्चित पूरक आय प्रदान करती है। यह योजना कृषि कार्य हेतु आवश्यक खर्चों में मदद करती है साथ ही किसानों को साहुकारों के चंगुल में बचाकर खेती के क्रियाकलापों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करती है।

पात्र परिवारों का चिन्हांकन

वर्ष 2015–16 में हुई कृषि गणना के आंकडों के आधार पर वर्ष 2018–19 में लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों का आकलन किया गया है। वर्ष 2019 के लिए लघु व सीमांत किसानों की अनुमानित संख्या 13–15 करोड है। उच्च आय श्रेणी के परिवारों को पात्रता श्रेणी से बाहर करने पर पात्र परिवारों की अनुमानित संख्या रूप से 12.50 करोड होगी।

पात्र लघु सीमांत कृषक परिवारों को सहायता

पात्र लघु सीमांत परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रूपये की सहायता आधार से जुडे बैंक खातों में सीधे चार–चार माह के अंतराल में दो–दो हजार की तीन किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है।

योजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण

योजना के अनुश्रवण हेतु कृषिसहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अधीन एक परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की गई है। यह इकाई एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधीन कार्य करती है जो कि योजना के क्रियान्वयन के साथ–साथ इसके व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए उत्तरदायी होगा। राज्य व जिला स्तर पर भी इसी प्रकार के अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है। केन्द्र स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण समिति की व्यवस्था की गई है।

साल में तीन बार कब–कब पैसा आता है?

इसके तहत साल में 2–2 हजार रुपये की तीन किश्त प्रदान की जाती है। पहली किश्त दिसंबर से मार्च के बीच, दूसरी किश्त अप्रैल से जुलाई के बीच भेजा और तीसरी किश्ती अगस्त से नवंबर के बीच लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांस्फ र की जाती है।

कैसे भेजा जाता है पीएम किसान निधि का पैसा

हॉलाकि योजना 100 प्रतिशत केन्द्रा सरकार के फंड से संचालित है लेकिन कृषि राज्या का विषय होने के कारण योजना का लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि राज्य सरकार आपके भूमि संबंधी दस्ताशवेज, आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर आदि का सत्याापन न कर दे।

3.2 संरक्षित खेती

योजना क्रियान्वयन विभाग : उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग
योजना प्रारम्भ दिनांक : 17/07/2019

योजना का विवरण	संरक्षित खेती योजनान्तर्गत शेडनेट हाउस, पॉली हाउस एवं प्लस्टिक मल्चिंग योजना में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान राशि कृषकों को दी जाती है।
लाभार्थी	सभी प्रकार के हितग्राहियों को समान अनुदान राशि प्रदान की जाती है
लाभ	हितग्राही को फसल की कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्ता होता है।
आवेदन कैसे करें	योजना का लाभ लेने के लिए किसान को विभाग के पोर्टल (एम.पी.एफ.एस.टी.एस.) पर पासपोर्ट फोटो, खसरा नकल,बैंकपासबुक, आधार कार्ड के साथ किसी भी ऑनलाईन सेन्ट र से पंजीयन कराना होगा।

3.3 सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग
योजना प्रारम्भ दिनांक : 02/08/2016

योजना का विवरण	योजनान्तर्गत बीज वाली फसलें भिण्डीं, गिल्कीज, लोकी, टमाटर, कददू, ककडी, आदि लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान राशि कृषकों को दी जाती है।
लाभार्थी	सभी प्रकार के हितग्राहियों को समान अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
लाभ	हितग्राही को फसल की कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है।
आवेदन कैसे करें	योजना का लाभ लेने के लिए किसान को विभाग के पोर्टल (एम.पी.एफ.एस.टी.एस.) पर पासपोर्ट फोटो, खसरा नकल,बैंकपासबुक, आधार कार्ड के साथ किसी भी ऑनलाईन सेन्टसर से पंजीयन कराना होगा।

3.4 फल पौधरोपण योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग
योजना प्रारम्भ दिनांक : 28/07/2016

योजना का विवरण	योजनान्तर्गत आम, अमरूद, नींबू, चीकू, अनार, सीताफल, मुनगा, बैर फलोद्यान लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत अनुदान राशि कृषकों को प्रदान की जाती है।
लाभार्थी	सभी प्रकार के हितग्राहियों को समान अनुदान राशि की पात्रता है।
लाभ	हितग्राही को फसल की कुल लागत का 40 प्रतिशत अनुदान के रूप मे प्राप्तप होता है।
आवेदन कैसे करें	योजना का लाभ लेने के लिए किसान को विभाग के पोर्टल (एम.पी.एफ.एस.टी.एस.) पर पासपोर्ट फोटो, खसरा नकल, बैंक पास बुक, आधार कार्ड के साथ किसी भी ऑनलाईन सेन्टसर से पंजीयन कराना होगा।

3.5 प्लास्टिक लाईनिंग ऑफ फार्म पॉण्ड

योजना क्रियान्वयन विभाग : उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग
योजना प्रारम्भ दिनांक : 15/05/2017

योजना का विवरण	प्लास्टिक लाइनिंग ऑफ फार्म पॉण्डा का निर्माण करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कुल लागत काअधिकतम 50 प्रतिशत कृषकों को अनुदान दिया जाता है।
लाभार्थी	योजनान्तर्गत सभी प्रकार के हितग्राहियों को समान अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
लाभ	कुल लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान के रूप मे प्राप्तन होने से कृषक को अर्थिक मदद मिल जाती है तथा पॉण्ड निर्माण की लागत कम हो जाती है। साथ ही कृषक द्वारा जल संरक्षण कर पानी का समय पर उपयोग किया जा सकता है।
आवेदन कैसे करें	योजना का लाभ लेने के लिए किसान को विभाग के पोर्टल (एम.पी.एफ.एस.टी.एस.) पर पासपोर्ट फोटो, खसरा नकल,बैंकपासबुक, आधार कार्ड के साथ किसी भी ऑनलाईन सेन्टरर से पंजीयन कराना होगा।

3.6 जैविक खेती को बढ़ावा (एच.डी.पी.ई.वर्मी बेड)

योजना क्रियान्वयन विभाग : उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग
योजना प्रारम्भ दिनांक : 26/10/2018

योजना का विवरण	जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये वर्मी शेड हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कृषकों को अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
लाभार्थी	योजनान्तार्गत सभी प्रकार के हितग्राहियों को समान अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
लाभ	हितग्राही को वर्मी बेड लगाने हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, जिसे निर्माण लागत कम हो जाती है। साथ ही जैविक खाद प्राप्तप होती है जिसका उपयोग करकृषक कम लागत में फसलों का अधिक उत्पौदन ले सकता है।
आवेदन कैसे करें	योजना का लाभ लेने के लिए किसान को विभाग के पोर्टल (एम.पी.एफ.एस.टी.एस.) पर पासपोर्ट फोटो, खसरा नकल,बैंक पासबुक, आधार कार्ड के साथ किसी भी ऑनलाईन सेन्टर से पंजीयन कराना होगा।

3.7 बी.पी.एल.किचनबाडी विकास योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग
योजना प्रारम्भ दिनांक : 24/11/2006

योजना का विवरण	योजनान्तर्गत बीपीएल कार्डधारी परिवारों को घर के आसपास सब्जी, भाजी उगाने हेतु सब्जी बीज पैकेट निःशुल्क प्रदान किये जाते हैं।
लाभार्थी	योजनान्तर्गत सभी किसानों को पैकेट दिये जाते है।
लाभ	75 रूपये मूल्य का सब्जी बीज पैकेट बीपीएल परिवारों को निःशुल्क दिया जाता है। इससे लाभार्थी परिवार का बाहर से सब्जीा खरीदने का पैसा बचता है और घर पर ही ताजी सब्जी् मिल जाती है।
आवेदन कैसे करें	योजना का लाभ लेने के लिए कृषक बीपीएल कार्डधारी हो तथा घर के आसपास सब्जी लगाने हेतु जगह होना आवश्यतक है।

3.8 मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
योजना प्रारम्भ दिनांक : 23/04/2018

योजना का विवरण	कृषक स्वयं एवं कृषक के शिक्षित पुत्र/पुत्रियों के स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा हैं। जिसमें उद्योग सेवा एवं व्यवसाय के लिये ऋण प्रकरण तैयार किये जा सकते हैं। वर्तमान में योजना में ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किये जाते हैं तथा स्वीकृति हेतु बैंको को ऋण प्रकरण ऑनलाईन ही प्रेषित किये जाते हैं। इस योजना में 10 लाख से अधिकतम 2 करोड़ की सीमा तक ऋण प्राप्त किये जा सकते हैं।
लाभार्थी	सभी वर्ग के किसान योजना का लाभ ले सकते है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होना चाहिये तथा मध्यप्रदेश का मूलनिवासी होना आवश्यक है।
लाभ	❖ बीपीएल को छोड़कर सभी वर्ग के आवेदकों को प्लांट मशीनरी में पूंजी निवेश का 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख तक की मार्जिनमनी प्रदाय की जाती है। ❖ बीपीएल आवेदकों को परियोजना की पूंजी लागत पर 20 प्रतिशत अधिकतम 18 लाख मार्जिनमनी प्रदाय की जाती है। ❖ योजनान्तर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी के अलावा ब्याज अनुदान ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ भी दिया जाता है। ❖ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक के आवेदकों को 50 हजार से 10 लाख तक 30 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख मार्जिन मनी की पात्रता होगी।
आवेदन कैसे करें	योजना पूरी तरह से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। आवेदकों को मूल दस्तावेज जैसे–10वीं अंकसूची, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आय, जाति, निवासी प्रमाण पत्र बैंक की पासबुक, चार्टर्ड एकांउटेंट द्वारा प्रमाणित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगाएवं 1 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ नजदीकी एमपी ऑनलाईन सेंटर पर समस्त दस्तावेजों को स्केन करा कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

3.9 नील क्रान्ति योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : मत्स्य पालन
योजना प्रारंभ दिनांक : 1/12/2016

योजना विवरण	संवर्धन क्षेत्र विकास, तालाब निर्माण, मत्स्य आहार संयंत्र, केज कल्चर पर अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
लाभार्थी	जाति वर्ग अनुसार सभी वर्ग को लाभ दिया जाता है।
लाभ	स्वयं की भूमि/तालाबों पर स्वयं के संसाधनों/बैंक ऋण से तालाब निर्मित करने वाले हितग्राहियों को अनुदान राशि उपलब्ध् करायी जाती है। सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत एवं अजजा/अजा वर्ग को 60 प्रतिशत अनुदान।
आवेदन कैसे करें	मत्स्य विभाग के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.10 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– वाटरशेड विकास

योजना क्रियान्वयन विभाग : कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 1/04/2012

योजना का विवरण	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र सरकार के द्वारा हर खेत तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक बहुत बड़ी योजना है। इस योजना के तहत देश के हर एक किसान को पात्र लाभार्थी माना गया है जो अपनी भूमि पर खेती किसानी करते हैं ।
लाभार्थी	योजना का लाभ देश के हर एक किसानों को मिलेगा जो अपनी निजी भूमि पर खेती करते हैं तथा ऐसे भी किसानों को लाभ मिल सकता है जो लीज एग्रीमेंट के तहत 7 वर्षों से उस भूमि पर खेती कर रहे हैं। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत सहकारी साख समिति सेल्फ हेल्प ग्रुप इत्यादि के मेम्बर किसान को भी पात्र लाभार्थी माना गया है ।
लाभ	किसान इस योजना के अंतर्गत अपने खेतों में छोटे तालाब, सूक्ष्मि सिंचाई के साधन जैसे फव्वारा (स्प्रिंकलर) सिंचाई, बूंद–बूंद सिंचाई (ड्रिप इरीगेशन) के उपकरण प्राप्तद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त) सुनिश्चित सिंचाई के माध्याम से उचित फसल प्रबंधन एवं जल संचयन विधियों के बारे में प्रशिक्षण भ्झी प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन कैसे करें	किसान अपने खेत एवं क्षेत्र को ग्राम पंचायत के माध्म से संबंधित ब्लॉक एवं जिला सिंचाई योजना में सम्मिलित करवा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने ब्लॉकक या जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

3.11 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 1/10/2015

योजना का विवरण	मिट्टी परीक्षण द्वारा मिट्टी में मौजूद मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की वास्तविक मात्रा ज्ञात करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से जांच के आधार पर फसलवार उर्वरकों की अनुशंसा की जाती हैं।
लाभार्थी	समस्त वर्ग के किसान अपने खेत की मिट्टी के नमूने निःशुल्क जांच करा सकते हैं।
लाभ	मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अनुशंसा के आधार पर किसान आवश्यक उर्वरकों को निर्धारित मात्रा में उपयोग करके अच्छा फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन कैसे करें	किसान अपने खेत का मिट्टी नमूना (लगभग 500 ग्राम) लेकर सादे कागज पर अपना नाम, ग्राम, खसरा नम्बर/रकबा, पहले बोयी गई फसल और आने वाले सीजन में लगाई जाने वाली फसल के नाम, आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर आदि जानकारी लिखक रस्वयं या अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में भेजकर निःशुल्क जांच करा कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। (अधिकजानकारी के लिए http:@@mpkrishi-mp-gov-in@ hindisite &New@suvidhaye&New-aspx से मार्गदर्शन ले सकते हैं)

3.12 सब मिशन आन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल (बीज ग्राम) योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 1/10/2014

योजना का विवरण	समस्त वर्ग के कृषकों को एक एकड़ क्षेत्रफल हेतु स्वयं का बीज तैयार करने के लिए विभिन्न फसलों की अच्छी गुणवत्ता का प्रमाणित बीज प्रदाय किया जाता हैं।
लाभार्थी	लक्ष्यथ के अनुसार समस्त वर्ग के किसानों को योजना का लाभ दिया जाता हैं।
लाभ	लाभान्वित हितग्राहीयों को खाद्यान्न फसलों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत तथा दलहनी एवं तिलहनी फसलों के बीज की कीमत का 60 प्रतिशत अथवा शासन द्वारा बीज की प्रति क्विंटल निर्धारित कीमत अनुसार जो भी कम हो अनुदान देय है।
आवेदन कैसे करें	आवेदक कृषक बी–1 खसरा/ऋण पुस्तिका, आधारकार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं मोबाइल नम्बर लेकर अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क कर लक्ष्यु पूरा होने तक योजना का लाभ ले सकते हैं।

3.13 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

योजना क्रियान्वयन विभाग : कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 7/04/2007

योजना का विवरण	विभिन्न फसलों के प्रजनक बीज की शासन द्वारा निर्धारित दर का शतप्रतिशत अनुदान बीज क्रय करने वाली बीज उत्पादक संस्थाओं को देय है।
लाभार्थी	बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं द्वारा बीज उत्पादन हेतु प्रजनक बीज का वितरण समस्त वर्ग के कृषकों को किया जाता है।
लाभ	प्रजनक बीज क्रय करने वाली बीज उत्पादक संस्थाओं को अनुदान का लाभ दिया जाता हैं।
आवेदन कैसे करें	आवेदक कृषक अपने क्षेत्र की बीज उत्पादक संस्थाओं से सम्पर्क कर भूमि संबंधी दस्तावेज(खसरा बी 1/ऋण पुस्तिका) प्रस्तुत कर बीज उत्पादन हेतु प्रजनक बीज प्राप्त कर सकते हैं। (अधिक जानकारी के लिए http:@@mpkrishi-mp-gov.in/hindisite New@suvidhaye&New-aspx से मार्गदर्शन ले सकते हैं)

3.14 सब मिशन आन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 1/04/2014

योजना का विवरण	कृषि को लाभकारी बनाने हेतु कृषकों को अनुदान पर हस्त/बैल चलित कृषि यंत्र उपलब्ध करवाना।
लाभार्थी	सभी वर्ग के कृषक योजना के लाभ हेतु पात्र हैं।
लाभ	लागत का 50% या रू. 5000/– प्रति सेट जो भी कम हो।
आवेदन कैसे करें	कृषक अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों से संपर्क कर बी–1, खसरा, बैंक पासबुक, आधार कार्ड आदि आवश्यक दस्तावेज जमा कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

3.15 परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY)

योजना क्रियान्वयन विभाग : कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 1/04/2015

योजना का विवरण	अधिकतम 1 हेक्टेयर तक के किसानों को सभी जैविक इनपुट (रसायन मुक्त) उपलब्ध कराना। कीटनाशक मुक्त कृषि उपज को बढ़ावा देना।
लाभार्थी	समस्त वर्ग के उन्नतशील कृषक
लाभ	लाभार्थी किसानों को कृषि आदान जैसे बीज, जैविक उर्वरक, जैविक कीटनाशक के साथ–साथ तकनीकि मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है।
आवेदन कैसे करें	आवेदक कृषक बी–1 खसरा/ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड छायाप्रति, बैंक पासबुक छायाप्रति एवं मोबाईल नम्बर लेकर अपने विकासखण्ड के सहायक तकनीकि प्रबंधक से सम्पर्क कर प्राप्त लक्ष्यानुसार योजना का लाभ ले सकते हैं।

3.16 कृषक प्रशिक्षण

योजना क्रियान्वयन विभाग : कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 1/04/2006

योजना का विवरण	संचालनालय भोपाल से प्रदाय लक्ष्यानुसार जिले के अन्दर, राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर संबंधित कृषकों की आवश्यकता अनुसार क्रमशः दो दिवसीय, पांच दिवसीय एवं पांच से सात दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं।
लाभार्थी	लक्ष्यानुसार समस्त वर्ग के इच्छुक कृषकों का चयन कर संबंधित प्रशिक्षण स्थल तक जाने–आने, रात्रि विश्राम, भोजन एवं प्रशिक्षण का समस्त खर्चा विभाग द्वारा वहन किया जाता हैं।
लाभ	कृषक प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि की उन्नतशील तकनीकि का ज्ञान प्राप्त कर अपने प्रक्षेत्र को उन्नत कर अधिक आय अर्जित कर सकते हैंजिससे आर्थिक एवं सामाजिक सुधार होता है।
आवेदन कैसे करें	अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क कर लक्ष्यानुसार योजना का लाभ ले सकते हैं।

3.17 अन्नपर्णा योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 1/05/2020

योजना का विवरण	अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के लघु/सीमांत कृषकों को अधिकतम 1 हेक्टेयर तक अच्छी गुणवत्ता का अधिक उपज देने वाली खाद्यान्न फसलों जैसे– मक्का, गेहूं आदि का बीज प्रदाय किया जाता है।
लाभार्थी	अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के लघु/सीमांत कृषक
लाभ	बीज की कीमत का 75 प्रतिशत अथवा 1500/– रू प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो अनुदान देय होगां।
आवेदन कैसे करें	आवेदक कृषक बी–1 खसरा/ऋण पुस्तिका एवं आधारकार्ड की छायाप्रति लेकर अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क कर प्राप्त लक्ष्यानुसार योजना का लाभ ले सकते हैं। (अधिक जानकारी के लिए http://mpkrishi.mp.gov.in/hindisite_New/suvidhaye_New.aspx से मार्गदर्शन ले सकते हैं।)

3.18 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 1/04/2007

योजना का विवरण	कृषकों को प्रदर्शन, प्रमाणित बीज वितरण, आधार व प्रमाणित बीज उत्पादन, आई.पी.एम., आई.एन.एम., सिंचाई यंत्र, कृषि यंत्र (हस्त चलित एवं पावर चलित फसल) आधारित प्रशिक्षण, बीज मिनीकिट आदि से लाभान्वित करना।
लाभार्थी	सभी वर्ग के कृषक योजना के लाभ हेतु पात्र हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के लाभ

राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा मिशन 'दलहन'			
क्र.	**घटक**	**ईकाई**	**अनुदान प्रावधान**
1	अरहर, चना, उर्द, मूंग, मसूर क्लस्टर प्रदर्शन	हेक्ट.	रू 9000/–प्रति हेक्टेयर
2	मूंग, गेहूं उड़द फसल प्रदर्शन	हेक्ट.	रू 15000/–प्रति हेक्टेयर

3	मूंग, मक्का, उडद, बाजरा, चना, गेहूं फसल प्रदर्शन	हेक्ट.	रू 9000/—प्रति हेक्टेयर
4	प्रमाणित बीज वितरण, 10 वर्ष तक की किस्में	क्विं.	रू 5000 प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 'मोटा अनाज'		
1	मक्का क्लस्टर प्रदर्शन	हेक्ट.	रू 6000 प्रति हेक्टेयर
2	अन्तरवर्तीय फसल प्रदर्शन	हेक्ट.	रू 6000 प्रति हेक्टेयर
3	प्रमाणित बीज वितरण, 10 वर्ष से अधिक की किस्में	क्विं.	रू 3000 प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
4	प्रमाणित बीज वितरण, 10 वर्ष से अधिक की किस्में	क्विं.	रू 1500 प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
5	संकर मक्का बीज वितरण	क्विं.	रू 10000 प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
6	पौध संरक्षण औषधि	हेक्ट.	रू 500 प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
7	जैव उर्वरक	हेक्ट.	रू 3000 प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत जो भी कम हो।

	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 'न्यूट्री सिरियल'	
1	ज्वार, बाजरा, कोंदो, कुटकी क्लस्टर प्रदर्शन	हेक्ट.
2	ज्वार, बाजरा कोंदो, कुटकी प्रमाणित बीज वितरण, 10 वर्ष तक की किस्में	क्विं.
3	ज्वार, बाजरा कोंदो, कुटकी प्रमाणित बीज वितरण प्रमाणित बीज वितरण, 10 वर्ष से अधिक की किस्में	क्विं.
4	संकर ज्वार, बाजरा बीज वितरण	क्विं.
5	ज्वार, बाजरा कोंदो, कुटकी प्रमाणित बीज उत्पादन अनुदान, 10 वर्ष तक की किस्में	क्विं.
6	सूक्ष्म पोषक तत्व	हेक्ट.
7	जैव उर्वरक	हेक्ट.
8	पौध संरक्षण औषधि	हेक्ट.
9	नींदानाशक वितरण	हेक्ट.
10	मैनुअल स्प्रेयर अजा, अजजा, महिला, सीमांत, लघु कृषक	संख्या
11	मैनुअल स्प्रेयर (अन्य कृषक)	संख्या
12	फसल आधारित प्रशिक्षण	संख्या
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 'व्यावसायीक फसल गन्ना'	
5	ज्वार, बाजरा कोंदो, कुटकी प्रमाणित बीज उत्पादन अनुदान, 10 वर्ष तक की किस्में	क्विं.
6	सूक्ष्म पौषक तत्व	हेक्ट.
7	जैव उर्वरक	हेक्ट.
8	पौध संरक्षण औषधि	हेक्ट.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 'व्यावसायिक फसल कपास'			
1	अ प्रथम पंक्ति प्रदर्शन		
2	ब प्रथम पंक्ति प्रदर्शन हेतु देशी एवं ई.एल.एस. कपास के बीज उत्पादन		
3	स प्रथम पंक्ति प्रदर्शन हेतु फसल अंतर्वेसी		
4	द हाईडेन्सिटी प्लाटिंग सिस्टम		
5	प्राकृतिक कलर कपास की प्रथम पंक्ति प्रदर्शन		
6	रासायनिक कीटनाशक एवं जैव रसायन वितरण		
7	राज्य स्तरीय प्रशिक्षण		
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 'तिलहन एवं आइल पाम'			
1	ब्रीडर सीड खरीदी	क्विं.	100 प्रतिशत।
2	आधार बीज उत्पादन अनुदान	क्विं.	रू0 2500 प्रति क्विटल
3	प्रमाणित बीज उत्पादन अनुदान	क्विं.	रू0 2500 प्रति क्विटल
4	प्रमाणित बीज वितरण अनुदान	क्विं.	रू0 4000 प्रति क्विटल
5	संकर बीज वितरण अनुदान	क्विं.	रू0 8000 प्रति क्विटल
6	सोयाबीन ब्लाक डेमोस्ट्रेशन	हेक्ट.	रू0 6000 प्रति क्विटल
7	तिल, रामतिल ब्लाक डेमोस्ट्रेशन	हेक्ट.	रू0 3000 प्रति क्विटल
8	मूंगफली ब्लाक डेमोस्ट्रेशन	हेक्ट.	रू0 10000 प्रति क्विटल
9	सरसों ब्लाक डेमोस्ट्रेशन मधुमक्खी पालन के साथ	हेक्ट.	रू0 5000 प्रति क्विटल
10	किसान प्रशिक्षण	संख्या	रू0 24000 प्रति क्विटल
11	स्टाफ प्रशिक्षण	संख्या	रू0 36000 प्रति क्विटल
12	जिप्सम, सल्फर, लाईम, एस.एस.पी.	हेक्ट.	लागत का 50 प्रतिशत या रू 750 प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो।
13	जैव उर्वरक	हेक्ट.	लागत का 50 प्रतिशत या रू 300 प्रति हेक्टे. जो भी कम हो।
14	पौध संरक्षण औषधी, माईक्रोन्यूट्रियन्ट, निदानाशक आदि	हेक्ट.	लागत का 50 प्रतिशत या रू 500 प्रति हेक्टे.जो भी कम हो।
15	मैनुअल स्प्रेयर	संख्या	अजा, अजजा, सीमांत, लघु, महिला कृषकों के लिये 50 प्रतिशत या राशि रू. 800 प्रति पम्प एवं अन्य कृषकों के लिये 40 प्रतिशत या राशि रू. 600 प्रति पम्प
16	पावर स्प्रेयर	संख्या	अजा, अजजा, सीमांत, लघु, महिला कृषकों के लिये 50 प्रतिशत या राशि रू. 1000 प्रति पम्प एवं अन्य कृषकों के लिये 40 प्रतिशत या राशि रू. 8000 प्रति पम्प

17	स्प्रिंकलर सेट	संख्या	अजा, अजजा, सीमांत, लघु, महिला कृषकों के लिये 55 प्रतिशत या राशि रू. 12046 प्रति पम्प एवं अन्य कृषकों के लिये 40 प्रतिशत या राशि रू. 9855 प्रति पम्प
18	डीजल पम्प	संख्या	लागत का 50 : या रू. 10000 प्रति सेट जो भी कम हो।
19	पाईप लाइन	संख्या	लागत का 50: या 35 रूपये प्रति मीटर अधिकतम रूपये 15000 जो की कम हो

आवेदन कैसे करें	पाइपलाईन, स्प्रिंकलर सेट एवं पंप सेट को छोड़कर उपरोक्तानुसार अन्य घटकों हेतु आवेदक कृषक बी–1, खसरा, बैंक पासबुक, आधार कार्ड आदि आवश्यक दस्तावेज की छायाप्रति लेकर अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क कर लक्ष्यानुसार योजना का लाभ ले सकते हैं। पाइपलाईन, स्प्रिंक्लर एवं पंप सेट के लिए कियोस्क, आनलाइन एम.पी. सेन्टर से ई.कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://dbt.mpdage.org पर कृषक द्वारा पंजीयन कराकर योजना का लाभ लिया जा सकता हैं। आवेदक को आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे बी–1 खसरा, सिंचाई प्रमाण पत्र, आधारकार्ड, पासपोर्ट फोटो, बैंक पासबुक छायाप्रति, एवं अजा, अजजा वर्ग के कृषकों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। (अधिक जानकारी के लिए https://nfsm.gov.in से मार्गदर्शन ले सकते हैं)

भाग - 4

रोजगार एवं स्वरोजगार

4.1 ग्रामीण कामगार सेतु योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 08/07/2020

ग्रामीण कामगार सेतु योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासी मजदूरों, सड़क विक्रेताओं, रेडी, फेरीवाले, रिक्शा चालक, मजदूरों आदि को लाभ पहुंचाने के लिए की गयी है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के रेडी वालों,मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों को नवीन व्यवसाय आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से 10000 रूपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिससे वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

योजना के लाभ

- योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर को प्रदान किया जाता है।
- मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के सड़क विक्रेताओं को अपना व्यवसाय आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से 10000 रूपये का ऋण मुहैया कराया जाता है।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत ब्याज की पूरी राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाती है।
- ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को नवीन व्यवसाय स्थापना हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से उद्यमिता विकास प्रशिक्षणभी दिया जाता है।

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ

- हेयर ड्रेसर
- सायकल रिक्शा चालक
- सायकल और मोटर सायकल सुधारने वाले
- ग्रामीण कारीगर
- कपड़े धोने वाले
- कर्मकार मंडल से संबंधित श्रमिक
- फल बेचने वाले
- मुर्गी–अंडे बेचने वाले
- प्रवासी मजदूर
- रेडी फेरीवाले
- ठेला खींचने वाले
- कुम्हीर
- बढ़ई
- बुनकर
- दर्जी
- आइसक्रीम रेहड़ी वाले
- समोसा और कचोरी बेचने वाले
- बुनाई करने वाले
- सड़क विक्रेता
- मजदूरआदि

ग्रामीण कामगार सेतु योजना के लिये पात्रता/दस्तावेज

- आवेदक मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रमें का स्थानयी निवासी हो।
- जाति का कोई बंधन नहीं है।
- आवेदक का आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष हो।
- किसी भी शैक्षणिक योग्यता के आवेदक पात्र हैं।
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर

ग्रामीण कामगार सेतु योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

- योजना के लाभ हेतु आवेदक को ग्रामीण कामगार सेतु योजना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा।

4.2 डेयरी उद्यमिता विकास योजना : नाबार्ड

योजना क्रियान्वयन विभाग : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/09/2010

परिचय

नाबार्ड की डेयरी उद्यमिता विकास योजना, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना, बछिया पालन को प्रोत्साहित करना, असंगठित क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाने और स्वयं रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

पात्रता/योग्यता

1. किसान, व्यक्तिगत उद्यमियों, गैर–सरकारी संगठन, कंपनियों, पेंशनरों, स्वयं सहायता समूहों, डेयरी सहकारी समितियों, दुग्ध संघों, दूध महासंघों सहित संगठित क्षेत्र।
2. एक व्यक्ति प्रत्येक घटक के लिए केवल एक बार इस योजना के तहत सभी घटकों का लाभ उठाने का पात्र हो सकता है।
3. एक परिवार के एक से अधिक सदस्य भी लाभान्वित हो सकते हैं। यदि वे अलग–अलग स्थानों पर अलग बुनियादी सुविधाओं के साथ अलग इकाइयों की स्थापना करते हैं।

अनुदान

1. उद्यमी योगदान परिव्यय का 10: (न्यूनतम)
2. सामान्य वर्ग के लिए पूंजी अनुदान 25%, अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए 35%
3. शेष भाग प्रभावी बैंक ऋण, परिव्यय का 40: न्यूनतम

वापसी

1. वापसी अवधि, गतिविधि और नकदी प्रवाह की प्रकृति पर निर्भर करेगा।
2. वापसी अवधि 3 से 7 साल होगी।
3. ग्रेस अवधि, डेयरी फार्मों के लिए 3 से 6 माह।

आवेदन कैसे करें?

अपने निकटतम पशु चिकित्सक अथवा ब्लाक पशु चिकित्सा अधिकारी के पास निम्नलिखित प्रमाणपत्रों के साथ आवेदन कर सकते हैं –

1. बेरोजगार होने का शपथ पत्र
2. यदि ऋण 1 लाख रूपये से अधिक है तो भूमि के कागजात
3. जाति वर्ग प्रमाण की फोटोकापी
4. तीन पासपोर्ट आकार के फोटो
5. यदि रेफ्रिजरेटेड वाहन लेना हो तो ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति
6. मोबाइल / स्टेशनरी वेटनरी क्लीनिक के लिए बी.वी.एस.सी. एवं ए.एच.की डिग्री का प्रमाण पत्र

निम्नलिखित सहायता के अंतर्गत आने वाले इकाई/घटक

1. अधिकतम 10 संकर नस्ल की गायों/भैसों के साथ छोटे डेयरी इकाईयों की स्थापना के लिए 5 लाख रुपया।
2. अधिकतम 20 बछियों–बछड़ों के पालन (संकर नस्य/भैंस) के लिए 4.80 लाख
3. वर्मी कम्पोस्टरू 20,000रुपया
4. मिल्किंग मशीन/मिल्क कूलिंग इकाई (यूनिट) रू 18 लाख रुपया (20 लीटर क्षमता तक)
5. डेयरी उत्पाद परिवहन सुविधाओं और कोल्ड चौन की स्थापना के लिए 24 लाख
6. निजी पशु चिकित्सा क्लीनिकरू 2.4 लाख मोबाइल क्लीनिक के लिए और 1.80 लाख स्थायी क्लीनिक के लिए
7. डेयरी मार्केटिंग आउटलेट/डेयरी पार्लर : 56000 रुपया

4.3 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/09/2015

योजना का विवरण	(1) योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम 50 हजार से अधिकतम रु 10 लाख तक होगी। (2) परियोजना लागत पर मार्जिन मनी सहायता 30 प्रतिशत या अधिकतम राशि रु 2 लाख में से जो कम हो। (3) पात्रतानुसार ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम राशि रूपये 25000/– प्रतिवर्ष 7 वर्ष तक केवल उद्योग/सेवा क्षेत्र के लिए देय होगी। (4) गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी। (5) योजनान्तर्गत व्यापारिक गतिविधियाँ पात्र नहीं होगी। (6) उद्योग एवं सेवा सम्बंधित इकाई के लिये गारंटी, ऋण गारंटी निधि योजना (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माईक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेस) के माध्यम से दी जावेगी। (7) आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का (डिफाल्टर) नही हो।
लाभार्थी	मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। अनुसूचित जाति वर्ग का हो। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के मध्य हो। ऐसे शिक्षित बेरोजगार जो न्यूनतम 5 वी या उच्च शिक्षा की अंकसूची (जन्मतिथि) तथा प्रमाण पत्र हो इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
लाभ	परियोजना लागत पर मार्जिन मनी सहायता 30 प्रतिशत या अधिकतम राशि रु 2 लाख में से जो कम हो।
आवेदन कैसे करें	योजना का लाभ लेने के लिए जिले के किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर https://scwelfare.mponline.gov.in पर आवेदन कर करे।

4.4 अनुदान व बैंक ऋण पर बकरी इकाई योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : पशु पालन विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/08/2008

योजना का विवरण	अनुदान व बैंक ऋण से (10+1) बकरी इकाई खरीदकर नस्ल सुधार के साथ हितग्राही की आर्थिक स्थिति मे सुधार करना। दूध उत्पादन से आर्थिक लाभ प्राप्त करना।
लाभार्थी	सभी वर्ग के भूमि हीन, कृषि मजदूर, सीमांत व लघु सीमांत कृषक जिनको बकरी पालन का अनुभव हो।
लाभ	बकरी पालन कर दूध के माध्यम से पूरक पोषण आहार तथापशु विक्रय से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
आवेदन कैसे करें	पशुपालन विभाग की निकटतम पशु चिकित्सा संस्था में आवेदन के पश्चात, बैंक से ऋण स्वीकृति प्राप्त होने पर विभाग द्वारा अनुदान राशि बैंक को दी जाएगी। योजनांतर्गत सामान्य अ.पि.वर्ग. को 40% तथा अ.ज.जा, अ.जा. को 60% अनुदान देय है। योजना की इकाई लागत 77456 रूपये है।

4.5 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/08/2008

योजना का विवरण	शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें उद्योग/सेवा के लिये ऋण प्रकरण तैयार किये जाते हैं। वर्तमान में योजना में ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किये जाते हैं तथा स्वीकृति हेतु बैंको को ऋण प्रकरण ऑनलाईन ही प्रेषित किये जाते हैं। इस योजना में 10 लाख से अधिकतम 2 करोड़ की सीमा तक ऋण प्राप्त किये जा सकते हैं।
लाभार्थी	सभी वर्ग के लोग इसका लाभ उठा सकते है।
लाभ	❖ सभी वर्ग के आवेदकों को इस योजना में प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश का 15 प्रतिशत, अधिकतम 12 लाख रूपये अनुदान दिया जाता है। ❖ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवेदकों को 20 प्रतिशत अधिकतम 18 लाख मार्जिनमनी राशि की पात्रता रहती है। ❖ योजनान्तर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी के अलावा ब्याज अनुदान ऋण ग्यांरटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है।
आवेदन कैसे करें	योजना पूरी तरह से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। आवेदक मूल दस्तावेज जैसे–10 वीं अंकसूची, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आय, जाति, निवासी, बैंक की पासबुक, चार्टर्ड एकांउटेंट द्वारा प्रमाणित विस्तृत परियोजना एवं 1 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर अपने नजदीकी एमपी ऑनलाईन सेंटर से आवेदन कर सकते हैं।

4.6 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 08/07/2020

योजना का विवरण	शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें उद्योग/सेवा के लिये ऋण प्रकरण तैयार किये जाते हैं। वर्तमान में योजना में ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किये जाते हैं तथा स्वीकृति हेतु बैंको को ऋण प्रकरण ऑनलाईन ही प्रेषित किये जाते हैं। इस योजना में 10 लाख से अधिकतम 2 करोड़ की सीमा तक ऋण प्राप्त किये जा सकते हैं।
लाभार्थी	सभी वर्ग के लोग इसका लाभ उठा सकते है।
लाभ	❖ सभी वर्ग के आवेदकों को इस योजना में प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश का 15 प्रतिशत, अधिकतम 12 लाख रूपये अनुदान दिया जाता है। ❖ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवेदकों को 20 प्रतिशत अधिकतम 18 लाख मार्जिनमनी राशि की पात्रता रहती है। ❖ योजनान्तर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी के अलावा ब्याज अनुदान ऋण ग्यांरटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है।
आवेदन कैसे करें	योजना पूरी तरह से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। आवेदक मूल दस्तावेज जैसे–10 वीं अंकसूची, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आय, जाति, निवासी, बैंक की पासबुक, चार्टर्ड एकांउटेंट द्वारा प्रमाणित विस्तृत परियोजना एवं 1 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर अपने नजदीकी एमपी ऑनलाईन सेंटर से आवेदन कर सकते हैं।

4.7 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

योजना क्रियान्वयन विभाग : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/01/2021

योजना का विवरण	बेरोजगारो को रोजगार स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा हैं। जिसमें उद्योग/सेवा के लिये ऋण प्रकरण तैयार किये जा सकते हैं। वर्तमान में योजना में ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किये जाते हैं तथा स्वीकृति हेतु बैंको को ऋण प्रकरण ऑनलाईन ही प्रेषित किये जाते हैं। इस योजना अंतर्गत परियोजना लागत उद्योग स्थापित करने हेतू अधिकतम 25 लाख एवं सेवा कार्य हेतु 10 लाख तक होगी।

लाभार्थी	गरीबी रेखा एवं वरिष्ठ नागरिको के लिए अलग से कोई प्रावधान नही हैं।			
लाभ	क्रं.	योजना अंतर्गत लाभार्थी की श्रेणी	स्वयं का अंशदान	अनुदान
	1	सामान्य श्रेणी	10%	15%
	2	विशेष श्रेणी अजा / अजजा / अपिव, भूतपूर्व	5%	25%
आवेदन कैसे करें	योजना पूरी तरह से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। आवेदकों को मूल दस्तावेज जैसेदृ परियोजना प्रतिवेदन, राशन कार्ड, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, जन्म संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि / भवन किराया, कोटेशन, पासपोर्ट साईज फोटो, ग्राम पंचायत की जनसंख्या एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल प्रति में एवं 1 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर अपने नजदीकी एमपी ऑनलाईन सेंटर से www.kviconline.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। योजना में लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।			

4.8 सावित्रीबाई फूले स्व सहायता योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/09/2016

योजना का विवरण	योजना के अंतर्गत परियोजना लागत अधिकतम 50 हजार तक होगी। योजनान्तर्गत परियोजना लागत पर मार्जिनमनी सहायता 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रु 15 हजार में से जो कम हो। योजना उद्योग / सेवा / व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी। आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का डिफाल्टर नहो। योजना का लाभ लेने के लिये किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर https://scwelfare.mponline.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
लाभार्थी	मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, अनुसूचित जाति वर्ग की महिला हो, आयु सीमा 18 से 55 वर्ष के मध्य हो, ऐसे बेरोजगार जो साक्षर, अनपढ़ और बीपीएल श्रेणी से होंइस योजना का लाभ ले सकते हैं।

लाभ	हितग्राही को मर्जिन मनी /अनुदान सहायता राशि 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रुपये।
आवेदन कैसे करें	ऑनलाइन सेंटर पर जाकर https://scwelfare.mponline.gov.in पर आवेदन कर करें।

4.9 मनरेगा

योजना क्रियान्वयन विभाग : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 02/02/2006

मनरेगा योजना क्या है ?

यह केंद्र सरकार द्वारा चलायी जा रही प्रमुख योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के सभी जरूरतमंद परिवारों को वर्ष में कम से कम 100 दिवस का अकुशल रोजगार प्रदान करना और ग्राम का विकास करना है। योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2005 को की गई थी।

मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य

योजना के अंतर्गत ग्राम विकास एवं कृषि से जुड़े कई प्रकार के काम किये जाते हैं। कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं –

- जल संरक्षण से जुड़े कार्य
- सूखे की रोकथाम एवं बाढ़ नियंत्रण से जुड़े कार्य
- भूमि विकास संबंधी कार्य
- व्यक्तिगत अधोसंरचना जैसे आवास, शौचालय, पशु शेड आदि
- लघु सिंचाई
- बागवानी
- ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माण
- अधोसंरचना निर्माण में मजदूरी से जुड़े कार्य
- सरकार द्वारा अधिसूचित अन्यकार्य जो ग्राम विकास के लिये आवश्यक हों

मनरेगा योजना से लाभ

1. मनरेगा योजना में ग्रामीण लोगों को अपने गांव या आसपास में ही रोजगार प्राप्त हो जाता है।
2. योजना के अंतर्गत परिवार के वयस्क सदस्य के द्वारा आवेदन किया जाता है। आवेदन के 15 दिन के अंदर रोजगार प्रदान किया जाता है। यदि किसी कारणवश 15 दिन के अंदर रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो सरकार के द्वारा उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। यह भत्ता पहले 30 दिनों तक प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दर का एक चौथाई होता है 30 दिन के बाद यह न्यूनतम मजदूरी दर का पचास प्रतिशत प्रदान किया जाता है।
3. काम प्रारंभ करने की तिथि से अधिकतम 15 दिवस के भीतर मजदूरी का भुगतान करना आवश्यक है। अगर तय समय में भुगतान नहीं किया गया तो काम करने वाले व्यक्ति को देरी से भुगतान का मुआवजा पाने का हक है।
4. इस योजना में मजदूरी का भुगतान बैंक, डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है।

भाग - 5

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

5.1 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/04/2009

योजना का विवरण	40 से 79 वर्ष तक आयु की विधवा महिला जिनका नाम बी.पी.एल. सूची में होने पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना प्रदाय की जाती है।
लाभार्थी	1. 40 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिला 2. बी.पी.एल. परिवार की सूची में नाम होना आवश्यक है।
लाभ	1. विधवा महिला को 200/– रू. प्रतिमाह केन्द्र सरकार द्वारा एवं 400/– रू. प्रतिमाह राज्य शासन द्वारा इस प्रकार हितग्राही को मार्च 2019 से राशि 600/– रू. प्रतिमाह प्रदाय की जाती है।
आवेदन कैसे करें	1. निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर 2. स्वयं की दो फोटो 3. समग्र आई.डी. 4. आधार नंबर 5. मोबाईल नंबर 6. बैंक पास बुक 7. बी.पी.एल. कार्ड 8. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 9. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र 10. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक हैं। उपरोक्त समस्त दस्तावेज ग्राम पंचायत या शहर की स्थिति में नगर पालिका कार्यालय में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा केन्द्र में आवेदन कर भी प्राप्त की जा सकती है।

5.2 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
योजना प्रारंभ दिनांक : 15/08/1992

योजना का विवरण	60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त हितग्राहियों को जिनका नाम बी.पी.एल. सूची में है इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रदाय की जाती है।
लाभार्थी	1. आवेदक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो 2. बी.पी.एल. सूची परिवार में होना आवश्यक है।
लाभ	1. 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु तक 200/– रू. प्रतिमाह केन्द्र सरकार द्वारा एवं 400/– रू. प्रतिमाह राज्य शासन द्वारा 2. 80 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर 500/– रू. प्रतिमाह केन्द्र सरकार द्वारा एवं 100/– रू. प्रतिमाह राज्य शासन द्वारा इस प्रकार हितग्राही को राशि 600/– रू. प्रतिमाह प्रदाय की जाती है।
आवेदन कैसे करें	1. निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर 2. स्वयं की दो फोटो 3. समग्र आई.डी. 4. आधार नंबर 5. मोबाईल नंबर 6. बैंक पास बुक 7. बी.पी.एल. कार्ड 8. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 9. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। उपरोक्त समस्त दस्तावेज ग्राम पंचायत या शहर की स्थिति में नगर पालिका कार्यालय में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा केन्द्र में आवेदन कर भी प्राप्त की जा सकती है।

5.3 सामाजिक सुरक्षा दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन पेंशन योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/09/1981

योजना का विवरण	निरूशक्त अध्ययनरत बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करना
लाभार्थी	06 से 18 वर्ष आयु तक के निरूशक्त विद्यार्थी जो विद्यालय में अध्ययनरत हो एवं जिनकी निरूशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो, को सामाजिक सुरक्षा दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन पेंशन प्रदाय की जाती है।
लाभ	हितग्राही को मार्च 2019 से राशि 600/– रू. प्रतिमाह प्रदाय किया जाता है।
आवेदन कैसे करें	1. निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर 2. स्वयं की दो फोटो 3. समग्र आई.डी. 4. आधार नंबर 5. मोबाईल नंबर 6. बैंक पास बुक 7. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 8. निरूशक्तता का 40 प्रतिशत या उससे अधिक का जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र 9. अध्ययनरत होने पर स्कूल का प्रमाण पत्र 10. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। उपरोक्त समस्त दस्तावेज ग्राम पंचायत या शहर की स्थिति में नगर पालिका कार्यालय में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा केन्द्र में आवेदन कर भी प्राप्त की जा सकती है।

5.4 सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/09/1981

योजना का विवरण	नि:शक्त व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करना
लाभार्थी	1. 18 से अधिक आयु के निरूशक्त व्यक्तियों को जिनकी नि:शक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो, को सामाजिक सुरक्षा निरूशक्त पेंशन प्रदाय की जाती है। 2. बी.पी.एल. का बंधन नहीं है।
लाभ	हितग्राही को मार्च 2019 से राशि 600/– रू. प्रतिमाह प्रदाय किया जाता है।
आवेदन कैसे करें	1. निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर 2. स्वयं की दो फोटो 3. समग्र आई.डी. 4. आधार नंबर 5. मोबाईल नंबर

आवेदन कैसे करें	6. बैंक पास बुक 7. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 8. निरूशक्तता का 40 प्रतिशत या उससे अधिक का जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र 9. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। उपरोक्त समस्त दस्तावेज ग्राम पंचायत या शहर की स्थिति में नगर पालिका कार्यालय में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा केन्द्र में आवेदन कर भी प्राप्त की जा सकती है।

5.5 सामाजिक सुरक्षा अविवाहिता पेंशन योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/10/2018

योजना का विवरण	प्रदेश में निवासरत अविवाहिता को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
लाभार्थी	1. 50 वर्ष से अधिक उम्र होने पर 2. अविवाहिता आयकर दाता नहीं होनी चाहिए 3. शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो 4. बी.पी.एल. का कोई बंधन नहीं है 5. अविवाहिता अन्य कोई पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही हो
लाभ	50 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहिता महिला होने पर राज्य शासन द्वारा 600 /– रू. प्रतिमाह प्रदाय की जाती है।
आवेदन कैसे करें	1. निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर 2. स्वयं की दो फोटो 3. समग्र आई.डी. 4. आधार नंबर 5. मोबाईल नंबर 6. बैंक पास बुक 7. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 8. आयकर दाता नहीं होने का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र 9. शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न होने का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र 10. परिवार पेंशन प्राप्त न कर रहीं हैं का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र 11. अन्य कोई पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही हो का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र 12. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। उपरोक्त समस्त दस्तावेज ग्राम पंचायत या शहर की स्थिति में नगर पालिका कार्यालय में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा केन्द्र/सीएससी केन्द्र से भी आवेदन किया जा सकती है।

5.6 सामाजिक सुरक्षा निराश्रित वृद्धा पेंशन योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 08/07/2020

योजना का विवरण	निराश्रित वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करना
लाभार्थी	1. 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन जो निराश्रित हैं (निराश्रित से आशय जिनके बच्चे, पति, पत्नि आदि जीवत ना हो) 2. निराश्रित होने की स्थिति में बी.पी.एल. की आवश्यकता नहीं है।
लाभ	हितग्राही को मार्च 2019 से राशि 600/– रू. प्रतिमाह प्रदाय किया जाता है।
आवेदन कैसे करें	1. निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर 2. स्वयं की दो फोटो 3. समग्र आई.डी. 4. आधार नंबर 5. मोबाईल नंबर 6. बैंक पास बुक 7. निराश्रित होने की स्थिति में निराश्रित का शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र 8. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 9. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। उपरोक्त समस्त दस्तावेज ग्राम पंचायत या शहर की स्थिति में नगर पालिका कार्यालय में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा केन्द्र/सीएससी केन्द्र से भी आवेदन किया जा सकता है।

5.7 मानसिक/बहुविकलांग सहायता योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
योजना प्रारंभ दिनांक : 18/06/2014

योजना का विवरण	बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता
लाभार्थी	बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्त जन
लाभ	रू. 600/– प्रतिमाह
आवेदन कैसे करें	1 आवेदक की आयु 06 वर्ष से अधिक हो 2 परिवार का मुखिया आयकर दाता न हो 3 मानसिक/बहुविकलांग का मेडिकल प्रमाण पत्र हो 4 मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। उपरोक्त समस्त दस्तावेज ग्राम पंचायत या शहर की स्थिति में नगर पालिका कार्यालय में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा केन्द्र/सीएससी केन्द्र से भी आवेदन किया जा सकती है।

5.8 सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/09/1981

योजना का विवरण	परित्यक्ता महिला को सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करना
लाभार्थी	18 वर्ष से अधिक आयु की परित्यक्ता महिला को जिसका नाम बी.पी.एल. सूची में हो उनको सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन प्रदाय की जाती है।
लाभ	हितग्राही को मार्च 2019 से राशि 600/– रू. प्रतिमाह प्रदाय किया जाता है।
आवेदन कैसे करें	1. निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर 2. स्वयं की दो फोटो 3. समग्र आई.डी. 4. आधार नंबर 5. मोबाईल नंबर 6. बैंक पास बुक 7. बी.पी.एल. कार्ड 8. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 9. परित्यक्ता प्रमाण पत्र 10. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। उपरोक्त समस्त दस्तावेज ग्राम पंचायत या शहर की स्थिति में नगर पालिका कार्यालय में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा केन्द्र/सीएससी केन्द्र से भी आवेदन किया जा सकता है।

5.9 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
योजना प्रारंभ दिनांक : 15/08/1995

योजना का विवरण	परिवार के मुखिया अथवा मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
लाभार्थी	1. 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए 2. बी.पी.एल. सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य है 3. परिवार के मुखिया अथवा मुख्य कमाउ सदस्य होना चाहिए।
लाभ	आश्रित परिवार के सदस्य को एक मुश्त राशि रू.20,000/– प्रदाय की जाती है।
आवेदन कैसे करें	1. निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर 2. मृत्यु प्रमाण पत्र 3. समग्र आई.डी.

आवेदन कैसे करें	4. आधार नंबर 5. मोबाईल नंबर 6. बैंक पास बुक 7. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 8. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है उपरोक्त समस्त दस्तावेज ग्राम पंचायत या शहर की स्थिति में नगर पालिका कार्यालय में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा केन्द्र / सीएससी केन्द्र से भी आवेदन किया जा सकती है।

5.10 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/04/2009

योजना का विवरण	18 से 79 वर्ष से आयु तक के नि:शक्तजन को जिनका नाम बी.पी.एल. सूची में हो एवं निरूशक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक होने पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निरूशक्त पेंशन प्रदाय की जाती है।
लाभार्थी	1. 18 से 79 वर्ष से आयु तक के निरूशक्त जन 2. बी.पी.एल. परिवार में नाम होना आवश्यक है
लाभ	1. निरूशक्त हितग्राही को 200/– रू. प्रतिमाह केन्द्र सरकार द्वारा एवं 400/– रू. प्रतिमाह राज्य शासन द्वारा इस प्रकार मार्च 2019 से राशि 600/– रू. प्रतिमाह प्रदाय की जाती है।
आवेदन कैसे करें	1. निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर 2. स्वयं की दो फोटो 3. समग्र आई.डी. 4. आधार नंबर 5. मोबाईल नंबर 6. बैंक पास बुक 7. बी.पी.एल. कार्ड 8. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 9. 80 प्रतिशत या उससे अधिक का नि:शक्तता का जिला मेडिकल बोर्ड का जारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। 10. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। उपरोक्त समस्त दस्तावेज ग्राम पंचायत या शहर की स्थिति में नगर पालिका कार्यालय में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा केन्द्र / सीएससी केन्द्र से भी आवेदन किया जा सकती है।

5.11 मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/04/2013

योजना का विवरण	60 वर्ष से अधिक आयु के दंपत्ति के यहां केवल कन्याऐं होने पर दंपत्ति में से किसी 1 को कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ प्रदाय किया जाता है
लाभार्थी	1. 60 वर्ष आयु होने पर पति या पत्नि में से किसी 1 का 2. परिवार का मुखिया आयकर दाता नहीं होना चाहिए 3. दंपत्ति के यहॉ केवल कन्याऐं होनी चाहिए
लाभ	पति या पत्नि में से किसी 1 को राज्य शासन द्वारा 600 /– रू. प्रतिमाह प्रदाय की जाती है।
आवेदन कैसे करें	1. निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर 2. स्वयं की दो फोटो 3. समग्र आई.डी. 4. आधार नंबर 5. मोबाईल नंबर 6. बैंक पास बुक 7. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 8. आयकर दाता नहीं होने का प्रमाण पत्र 9. केवल कन्याऐं होने संबंधी शपथ पत्र 10. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है उपरोक्त समस्त दस्तावेज पंचायत या शहर की स्थिति में नगर पालिका कार्यालय में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा केन्द्र/सीएससी केन्द्र से भी आवेदन किया जा सकती है।

भाग - 6

महिला एवं बाल हित

6.1 प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY)

योजना क्रियान्वयन विभाग : खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/05/2016

उज्जवला योजना और उसका उद्देश्य

- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान करना है।
- इस योजना को 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू किया गया था। यह योजना केन्द्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है।
- यह योजना महिलाओं के नाम पर मुफ्त कनेक्शन जारी करके महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।
- योजना के तहत लाभार्थियों यानी बीपीएल परिवारों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना आंकडों के माध्यम से की जाती है।

किसे मिल सकता है इस योजना का लाभ

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में साल 2011 की जनगणना के हिसाब से जो परिवार बीपीएल श्रेणी में आते हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। इस योजना के तहत कुल 8 करोड बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

कैसे एवं कहा करे आवेदन

बीपीएल परिवार की कोई भी महिला इस योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन कर सकती है इसके लिए आपको केवाईसी फार्म भरकर नजदीकी एलपीजी केन्द्र में जमा करना होगा। आवेदन करते समय यह भी बताना होगा कि 14.2 किलो या 5 किलो वाले सिलेंडर में से कौन सा सिलेंडर चाहिए है।

योजना का लाभ लेने के लिये अन्य जरूरी बाते

1 आवेदक का नाम एस ई सी सी 2011 के आंकडों में होना चाहिये
2 आवेदक महिलायें होनी चाहियें जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो
3 आवेदक बीपीएल परिवार से हो
4 महिला के नाम से एक बचत खाता हो
5 आवेदक के घर में पहले से किसी के नाम से एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिये

सब्सिडी के बारे में

1 योजना के तहत सरकार हर मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए सरकारी स्वामित्व वाली तेल विनिर्माण कंपनियों को 1600 रूपये की सब्सिडी प्रदान करती है जो वे उन गरीब ग्रामीण परिवारों को प्रदान करते है जो इससे वंचित हैं।
2 यह सब्सिडी सिलेंडर और फिटिंग शुल्क के लिए सुरक्षा शुल्क को कवर करने के लिए है। लाभार्थी को अपना गैस चूल्हा खरीदना होगा।

योजना का लाभ लेने के लिये पात्रता का मापदंड

1 मोटरसायकल, दो पहिया, तिपहिया या चार पहिया वाहन न हो।
2 घरेलू सदस्य सरकारी कर्मचारी न हो।
3 घर के किसी भी सदस्य की कमाई 10 हजार से अधिक प्रतिमाह न हो।
4 आयकर दाता न हो।
5 पक्की दीवारें और 3 से अधिक कमरे का मकान न हो।
6 रेफ्रिजरेटर या मशीनीकृत उपकरण जैसे एसी या अन्य का मालिक न हो।
7 2–5 एकड से अधिक भूमि का मालिक न हो।
8 बीपीएल राशन कार्ड धारी हो।

कनेक्शन लेने के लिये आवश्यक दस्तावेज

1 बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कापी
2 समग्र आई डी की फोटो कापी
3 आधार कार्ड की फोटो कापी
4 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की फोटो कापी
5 पासबुक की फोटो कापी (जिस महिला के नाम से ले रहे है उसकी)
6 2 पासपोर्ट फोटो

6.2 लाड्ली लक्ष्मी योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : महिला एवं बाल विकास विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/04/2007

लाड़ली लक्ष्मी योजना क्या है

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007 में लाड़ली लक्ष्मी योजना शुरू की गई। योजना का उद्देश्य बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज के नकारात्मक नज़रिया में बदलाव लाना है। इसके अतिरिक्त प्रमुख पहल लिंग अनुपात, साथ ही बालिकाओं की शैक्षणिक और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना स्कीम के लाभ

1 राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष बालिकाओं के जन्म के बाद उनके नाम पर 6000 रुपये का राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र खरीदती है। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र की खरीद लगातार पाँच वर्षों तक जारी रहती है जब तक कि कुल राशि 30000 रु तक नहीं पहुँच जाती।
2 रजिस्टर्ड बालिका को विभिन्न कक्षाओं में पदोन्नत होने पर निश्चित राशि दी जाती है

कक्षा	प्राप्त राशि	कक्षा	प्राप्त राशि
छठवीं	₹ 2,000	नौवीं	₹ 4000
ग्यारहवीं	₹ 6,000	बारहवीं	₹ 6,000

- बालिका को 11 के बाद बारहवीं कक्षा तक उसकी शिक्षा वर्ष में 200रु हर महीने 400रु के अतिरिक्त प्राप्त होंगें।
- यदि लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं हुई है तो उसे 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर 1 लाख रुपये की एकमुश्त राशि प्राप्त होगी।

नोट. जिन माता–पिता ने दो जीवित बच्चों के बाद एक लड़की को गोद लिया है उन्हें लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है और आयकर दाता न हो।

लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए योग्यता

यहां यह जानने के लिए सूची दी गई है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ पाने के लिए कौन योग्य है–

- वह बच्ची जिसके मातादृपिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं।
- जिन बालिकाओं के माता–पिता आयकर दाता न हों।
- दूसरी बालिका के मामले में परिवार नियोजन को अपनाने पर योजना का लाभ मिलता है।
- 1 लाख रु. की एकमुश्त राशि केवल तभी जारी की जाती है जब रजिस्टर्ड बालिका की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं की जाती है।
- यदि लड़की अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देती है तो वह योजना का कोई लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य नहोगी।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत एक परिवार की दो लड़कियों को लाभान्वित किया जाएगा। हालाँकि अगर लड़कियां जुड़वाँ हैं तो तीसरी लड़की को भी लाभ मिलेगा।
- अनाथ बालिका इस योजना का लाभ तभी प्राप्त कर सकती है जब उसे गोद लिया जाए और गोद लेने का प्रमाण पत्र परिवार द्वारा विधिवत प्रस्तुत किया जाए।

आवश्यक दस्तावेज़

- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण
- बैंक का नाम, शाखा का नाम, अकाउंट नंबर के साथ आवेदक की पासबुक की कॉपी
- पहचान प्रमाणदृ आधार कार्ड, राशन कार्ड
- लाभार्थी का फोटा

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

लाडली लक्ष्मी योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिए गए तरीकों का पालन करें

- स्कसपस ladlilaxmi.mp.gov.in पद पर जाएं और आगे बढ़ने के लिए "Application Letter" पर क्लिक करें
- पेज पर तीन विकल्प हैंदृ पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट, जनरल पब्लिक एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर
- "General Public" विकल्प पर क्लिक करें
- फॉर्म को ध्यान से पढ़ें और भरें। आवेदन करने के लिए "अम" पर क्लिक करें
- आवेदक को आवेदन पत्र के साथ सभी अनिवार्य दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी को संलग्न करना होगा और आगे की चयन प्रक्रिया के लिए फॉर्म भेजने के लिए सबमिट पर क्लिक करना होगा। परियोजना कार्यालय लोक सेवा केंद्र या किसी अन्य साइबर कैफे से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद से आवेदन जमा किए जा सकते हैं।

6.3 प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY)

योजना क्रियान्वयन विभाग : महिला एवं बाल विकास विभाग

योजना प्रारंभ दिनांक : 01/01/2017

उद्देश्य

काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन–पोषण के प्रभाव को कम करना।

योजना के लाभ

योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फायदा होगा। योजना की लाभ राशि ऑनलाइन माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जावेगी। सरकार निम्नानुसार किश्तों में राशि का भुगतान करेगी –

पहली किस्त : 1000 रुपए गर्भावस्था के पंजीकरण के समय

दूसरी किस्त : 2000 रुपए छह महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच कराने पर

तीसरी किस्त: 2000 रुपए जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस–B सहित पहले टीके का चक्र शुरू होता है।

किन महिलाओं को लाभ की पात्रता नहीं

1 जो केंद्र या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में हैं।

2 जो किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ प्राप्तकर्ता हैं।

6.4 समेकित बाल विकास परियोजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : महिला एवं बाल विकास विभाग

योजना प्रारंभ दिनांक : वर्ष 1975

योजना के बारे मे

वर्तमान में मध्यप्रदेश के सभी 313 विकासखण्डों में 278 ग्रामीण, 102 आदिवासी परियोजनायें संचालित हैं। इसके अतिरिक्त 73 शहरी बाल विकास परियोजनाओं सहित प्रदेश में कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। 453 बाल विकास परियोजनाओं में कुल 80,160 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 12,070 उप आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लगभग 97.68 लाख हितग्राहियों को आई.सी.डी.एस. की सेवाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से निम्नानुसार सेवाएं दी जाती है–

1. पूरक पोषण आहार

6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरियों की पहचान हेतु सभी परिवारों का सर्वेक्षण किया जाता है तथा साल में कम से कम तीन सौ दिन पूरक पोषण आहार दिया जाता हैं।

वर्तमान में 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को 4.00 रूपये प्रति बच्चा प्रतिदिन के मान से 12–15 ग्राम प्रोटीन एवं 500 कैलोरी युक्त पोषण आहार दिये जाने का प्रावधान है। गंभीर कुपोषित बच्चों को 6.00 रूपये प्रति बच्चा प्रतिदिन के मान से 20–25 ग्राम प्रोटीन एवं 800 कैलोरी युक्त पोषण आहार तथा गर्भवती/धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को 5.00 रूपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन के मान से 18–20 ग्राम प्रोटीन एवं 600 कैलोरी युक्त पोषण आहार दिये जाने का प्रावधान है।

2.स्वास्थ्य जांच

प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र में प्रत्येक माह में किसी एक मंगलवार या शुक्रवार के दिन ए.एन.एम तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य जाँच की जाती है। स्वास्थ्य जाँच के आधार पर स्वास्थ्य में सुधार हेतु आवश्यक सलाह हितग्राहियों को दी जाती है।

3.संदर्भ सेवाएँ

स्वास्थ्य जांच के आधार पर आवश्यक होने पर महिलाओं एवं बच्चों को खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा विकासखण्ड/जिला स्तरीय चिकित्सालयों में रेफर किया जाता है।

4.टीकाकरण

प्रति आंगनबाड़ी प्रतिमाह किसी एक सप्ताह का मंगलवार/शुक्रवार टीकाकरण के लिये निर्धारित रहता है। उक्त दिवस में ए.एन.एम द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है।

5.पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ए.एन.एम द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में गृह भेंट करने का प्रावधान है। गृहभेंट के दौरान महिलाओं को स्वास्थ्य एवं संतुलित भोजन से संबंधित जानकारी व सलाह दी जाती है।

6.स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा

आंगनबाड़ी केन्द्रों का मुख्य उददेश्य बच्चों का मानसिक विकास करना भी है जिससे वह प्राथमिक स्कूल में बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल–खेल में शिक्षा दी जाती हैं। बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों जैसे– जल, जंगल, जानवर इत्यादि के बारे में प्रारंभिक ज्ञान कराया जाता है।

योजना के बारे मे

समेकित बाल संरक्षण योजना सभी बच्चों विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुर्नवास हेतु बाल संरक्षण की अन्य योजनाओं को केन्द्रीय रूप में सम्मिलित कर प्रारम्भ की गई है। यह योजना बच्चों के बाल अधिकार, संरक्षण और सर्वोत्तम बाल हित के दिशा–निर्देशक सिद्धान्तों पर आधारित है।

उक्त योजना के तहत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 का क्रियान्वयन भी मुख्य घटक है। इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के विधि विरोधी कार्यों में संलिप्त बालकों तथा देखरेख और संरक्षण के लिये जरूरतमंद बालकों को संरक्षण, भरण–पोषण, शिक्षण–प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक एवं पारिवारिक पुनर्वास मुख्य उद्देश्य है।

इन बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 30 शासकीय संस्थायें, 18 सम्प्रेक्षण गृह, 3 विशेषगृह, 6 बालगृह, 2 पश्चातवर्ती गृह, 1 शिशुगृह तथा 95 अशासकीय संस्थायें यथा 32 शिशु गृह, 46 बाल गृह, 8 आश्रय गृह एवं 9 खुले आश्रय संचालित है।

उपरोक्त दोनो श्रेणियों के बालकों के प्रकरणों के निराकरण हेतु 51 किशोर न्याय बोर्ड एंव 51 बाल कल्याण समितियाँ स्थापित है। समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समितियों का गठन किया गया है। जिलों में संचालित उक्त समितियाँ कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण व पुर्नवास तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मानीटरिंग करने हेतु सक्षम एवं उत्तरदायी है। जिला स्तरीय समितियों की निगरानी एवं मूल्यांकन का कार्य राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समितियों यथा राज्य बाल संरक्षण समिति एवं राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा किया जाता है।

6.5 वन स्टाप सेंटर (सखी)

योजना क्रियान्वयन विभाग : महिला एवं बाल विकास विभाग

योजना प्रारंभ दिनांक : 01/04/2015

योजना के बारे मे

वन स्टॉप सेंटर (सखी) अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस–डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा एवं काउन्सलिंग की सुविधा वन स्टॉप सेंटर/उषा किरण केन्द्रों में उपलब्ध करायी जाती है।

उद्देश्य

एक ही छत के नीचे हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एकीकृत रूप से सहायता एवं सहयोग प्रदाय करना। पीड़ित महिला एवं बालिका को तत्काल आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सुविधायें उपलब्ध कराना जैसे–चिकित्सा, विधिक, मनौवैज्ञानिक परामर्श आदि।

लक्षित समूह

हिंसा से पीड़ित महिलायें जिसमें 18 वर्ष से कम आयु की बालिकायें भी सम्मिलित है को सहायता प्रदाय करना। 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की सहायता हेतु लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत गठित संस्थाओं को सेन्टर से जोड़ना।

6.6 सुकन्या समृद्धि योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : महिला एवं बाल विकास विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 22/01/2015

सुकन्या समृद्धि योजना क्या है

इस योजना के अंतर्गत बेटी के माता पिता द्वारा बेटी के लिए बचत खाता किसी भी राष्ट्रीय बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में खोला जाता है। वह सभी माता–पिता जो अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए पैसे जमा करना चाहते हैं वह इस योजना के अंतर्गत बचत खाता खोल सकते हैं। इस खाते को खोलने के लिए न्यूनतम राशि 250 रू है तथा अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपए है।

कन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य

योजना का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और विवाह योग्य होने पर पैसो की कमी न आने देना है। कन्या के माता–पिता बचत को बैंक खाते में जमा कर अपनी बेटी की पढाई और शादी में होने वाले खर्च को आसानी से पूरा कर सकते है।

आवेदन केसे करे

सुकन्या समृद्धि योजना खाते के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को लेकर अपने नजदीकी किसी बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में पहुंचकर आपको सुकन्या समृद्धि योजना फार्म प्राप्त करना होगा। आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को आपको सही–सही भरकर बैंक / पोस्ट आफिस में जमा करना होगा।

क्या हैं सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के नियम?

- सुकन्या समृद्धि खाता बेटी के माता–पिता या कानूनी अभिभावक बेटी के नाम से खुलवा सकते हैं।
- बेटी के जन्म से उसके 10 साल का होने तक खाता खुलवाया जा सकता है।
- नियमों के मुताबिक एक बच्ची के लिए एक ही सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है उसमें पैसा जमा किया जा सकता है यानी एक बच्ची के लिए दो खाते नहीं खोले जा सकते हैं।
- खाता खुलवाते समय बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण भी देना पड़ता है.
- आभिभावक व कन्या दोनों के पासपोर्ट साइज दो–दो फोटो
- आभिभावक व कन्या दोनों की समग्र आई डी
- आभिभावक व कन्या दोनों के आधार कार्ड की फोटोकापी

योजना का लाभ

- बेटियों की शिक्षा और उनके शादी–ब्याह के लिए रकम जुटाने में मदद करती है।
- अभी इस स्कीम के तहत 8.1 फीसदी ब्याज मिलता है।
- इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80सी के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर टैक्स छूट भी मिलती है।
- सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश पर आप टैक्स छूट का फायदा भी उठा सकते हैं।
- बेटियों की शिक्षा और उनके शादी–ब्याह के समय इस रकम को निकाला जा सकता है।

6.7 जननी सुरक्षा योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : स्वास्थ्य विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 15/08/2005

योजना का विवरण	शासन द्वारा सुरक्षित मातृत्व एवं शिशु के लिये वर्ष 2005 में जननी सुरक्षा योजना लागू कर संस्थागत प्रसव को विस्तारित किया गया ताकि मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। वर्तमान में 81.70 प्रतिशत प्रसव संस्था पर हो रहे हैं। इस कार्य में चयनित आशा कार्यकर्ता का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है।
लाभार्थी	माता एवं शिशु (संस्थागत प्रसव)
लाभ	योजनान्तर्गत पात्र हितग्राही को प्रसव पश्चात् शहरी क्षेत्र में रूपये 1000/– एवं ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 1400/– तथा प्रेरक को शहरी क्षेत्र में 200/– एवं ग्रामीण क्षेत्र में 350/– रूपये की प्रोत्साहन राशि देय हैं।
आवेदन कैसे करें	इसका लाभ स्वतः स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधितों को दिया जाता है।

6.8 बेटी बचाओ बेटी पढाओ

योजना क्रियान्वयन विभाग : महिला एवं बाल विकास
योजना प्रारंभ दिनांक : 22/01/2015

योजना का विवरण	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लक्ष्य बालिका एवं उसकी शिक्षा को सक्षम बनाना है। 1. बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना। 2. बालिकाओं की खरीदी, बिक्री , हत्या को रोकना। 3. बालिकाओं के अस्तित्व एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना। 4. लिंगानुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि।
लाभार्थी	बालिकाएँ एवं महिलाएँ। बालिका की आयु 10 वर्ष होने तक योजना का लाभ लिया जा सकता है।
लाभ	1. बेटियों को पढ़ाई के लिये आर्थिक सहायता मिलेगी। 2. बालिकाएँ ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। 3. बालिकाओं का विवाह सही उम्र में होगा।
आवेदन कैसे करें	बालिका का बैंक या पोस्ट आफिस में बचत खाता (सुकन्या समृद्धि खाता) खुलवाना होगा। खुलवाना है।

6.9 गांव की बेटी योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : उच्च शिक्षा विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/06/2005

योजना का विवरण	ग्रामीण क्षेत्र की छात्रा जो शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हैं उन्हें शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। यह योजना प्रोत्साहन योजना है। अतः हितग्राही छात्रा इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती है।
लाभार्थी	12 वीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण सभी वर्ग की छात्राओं को लाभ दिया जाता है।
लाभ	परम्परागत पाठयक्रम हेतु रूपये 500/– प्रतिमाह की दर से 10 माह की राशि रूपये 5000/– प्रतिवर्ष एवं तकनीकि शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा में अध्ययन हेतु रूपये 750/– प्रतिमाह की दर से 10 माह की राशि रूपये 7500/– प्रतिवर्ष
आवेदन कैसे करें	निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल http:@@scholarshipportal-mp-nic-in द्वारा आवेदन किये जाते हैं। स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है। स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा की जाती है।

भाग -7

निजी अधोसंरचना निर्माण

7.1 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

योजना क्रियान्वयन विभाग : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 02/10/2014

योजना का विवरण	खुले में शौच की प्रथा को बंद कर ग्रामीण क्षेत्र को स्वच्छ कर बीमारियों एवं गंदगी से मुक्त करना।
लाभार्थी	योजना पूर्व के लाभार्थी परिवारों को छोडकर योजनांतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समस्त परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक, विधवा, महिला प्रमुख व बीपीएल के समस्त परिवार जिनका सर्वेक्षित सूची में नाम दर्ज है सभी योजना का लाभ ले सकते हैं।
लाभ	हितग्राही स्वयं अपने मकान में शौचालय का निर्माण कर लेते हैं और इनका प्रमाणीकरण और जिओ टैग के बाद हितग्राही को उनके बैक खाते में प्रोत्साहन राशि रूपये 12000 का भुगतान किया जाता है। जो हितग्राही स्वयं शौचालय का निर्माण कराने में सक्षम नहीं होते है उनके शौचालय का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है और सामग्री व मजदूरी का भुगतान संबंधित वेंडर को किया जाता है।
आवेदन कैसे करें	योजना की विस्तृत जानकारी ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत स्तर पर उपलब्ध है ग्राम पंचायत से संपर्क कर व सर्वेक्षित सूची में नाम देखकर योजना के लाभ हेतु पंचायत में आवेदन किया जा सकता है।

7.2 प्रधानमंत्री आवास योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 14/08/2020

योजना का विवरण	हितग्राही को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराना
लाभार्थी	एसईसीसी सूची में नाम शामिल हो या ग्रामसभा/पंचायत द्वारा पुनः सर्वेक्षण कर नाम शामिल कराया गया हो।
लाभ	नए आवास का निर्माण करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1.20 लाख का अनुदान
आवेदन कैसे करें	ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करेगा

भाग -8

अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं

8.1 मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 2018

योजना क्रियान्वयन विभाग : असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल, श्रम विभाग
योजना प्रारंभ दिनांक : 01/07/2018

संबल योजना क्या है?

संबल का सामान्य अर्थ है ताकत देने वाला या सहारा देने वाला। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक वर्ग के परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुये उन्हें जरूरत पर शिक्षा सहायता, प्रसूती सहायता, अनुग्रह सहायता, अन्त्येष्ठि सहायता, दुर्घटना सहायता, सरल बिजली सहायता प्रदाय की जाती है।

पात्र कौन है?

- 18 से 60 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक
- नौकरी, स्वरोजगार, घरों में कार्य या वेतन हेतु अन्य अस्थायी प्रकृति के काम करने वाले व्यक्ति
- किसी ऐसे कार्य में नियोजित श्रमिक जो किसी एजेन्सी, ठेकेदार के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा हो
- जिन्हें बीमा, भविष्य निधि, ग्रैज्युटी, पेंशन आदि सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का लाभ प्राप्त नहीं होता हो, इस योजना में पात्र होगा।

अपात्र कौन हैं?

- ऐसे असंगठित श्रमिक जिनके पास 1 हेक्टेयर से अधिक यानी 2.5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।
- शासकीय सेवा में कार्यरत हों अथवा आयकर दाता हों, योजना के लाभ हेतु पात्र नहीं हैं।

हितग्राही के परिवार का आशय

- परिवार से आशय असंगठित श्रमिक के परिवार के निम्न सदस्यों से है
- पत्नी / पति (यथा स्थिति)
- आश्रित पुत्र / पुत्री
- आश्रित माता / पिता

उत्तराधिकारी से आशय

- पत्नी / पति (यथास्थिति अनुसार)
- पुत्र एवं पुत्रियां (पति–पत्नी नहीं होने की स्थिति में)
- माता एवं पिता (पति–पत्नी, पुत्र, पुत्री के नहीं होने की स्थिति में)
- भाई एवं बहन (पति–पत्नी, पुत्र एवं माता–पिता के नहीं होने की स्थिति में)

पंजीयन हेतु अधिकृत अधिकारी

- ग्रामीण क्षेत्र में– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

●नगरीय निकायों में– आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी

क्या–क्या लाभ मिलेंगे

मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 2018 के अन्तर्गत सम्मिलित सभी योजनाओं में पंजीकृत असंगठित श्रमिक अथवा उसके परिवार को पात्रतानुसार लाभान्वित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री संबल योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएं

8.1.1 अन्त्येष्ठी सहायता योजना

लाभ

पंजीबद्ध असंगठित श्रमिक अथवा उसके परिवार के आश्रित सदस्य की मृत्यु के तुरंत पश्चात अंत्येष्ठि के लिये रू 5 हजार की नकद सहायता प्रदान की जायेगी। इसमें मृतक की आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है।

स्वीकृति अधिकारी

- ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- नगरीय क्षेत्र में आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी

सहायता राशि के भुगतान की प्रक्रिया

ग्रामीण क्षेत्रों में सचिव ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में अधिकृत अधिकारी को पंजीकृत असंगठित श्रमिक या परिवार के आश्रित सदस्य की मृत्यु की सूचना देने अन्यथा जानकारी प्राप्त होने पर यह राशि प्रदान की जावेगी।

8.1.2 सामान्य मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता

पंजीबद्ध असंगठित श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में उसके उत्तराधिकारी को 2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है।

कौन होगा अपात्र

- पंजीबद्ध श्रमिक जिसने आत्महत्या की हो।
- पंजीबद्ध श्रमिक की मृत्यु दिनांक को आयु 60 वर्ष से अधिक हो।

स्वीकृत कर्ता अधिकारी

- ग्रामीण में मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- नगरीय क्षेत्र में आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी

आवेदन करने का स्थान

1 ग्राम पंचायत कार्यालय या जनपद पंचायत

2 नगर निगम या जोनल कार्यालय में या मुख्य नगर पालिका कार्यालय में

8.1.3 दुर्घटना में मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता

पंजीबद्ध असंगठित श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में उसके उत्तराधिकारी को स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा 4 लाख की अनुग्रह राशि भुगतान की जाती है।

अनुग्रह राशि के लिए अपात्रता

- पंजीबद्ध श्रमिक जिसने आत्महत्या की हो।
- पंजीबद्ध श्रमिक की मृत्यु दिनांक को आयु 60 वर्ष से अधिक हो।
-

स्वीकृत कर्ता अधिकारी कौन

- ग्रामीण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- नगरीय क्षेत्रों में आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी

आवेदन करने का स्थान

- ग्राम पंचायत कार्यालय या जनपद पंचायत
- नगर निगम या जोनल कार्यालय में या मुख्य नगर पालिका कार्यालय में

8.1.4 स्थायी अपंगता/ आंशिक स्थाई अपंगता की दशा में अनुग्रह सहायता

पंजीबद्ध असंगठित श्रमिक को दुर्घटना अथवा अन्य किसी कारण से स्थायी अपंगता होने पर दो लाख तथा आंशिक स्थाई अपंगता होने पर एक लाख की अनुग्रह सहायता।

स्थायी अपंगता

स्थायी अपंगता से आशय दोनों आंख या दोनों हाथ या दोनों पैर की हानि से है।

आंशिक स्थायी अपंगता

- आंशिक स्थायी अपंगता से आशय एक आंख या एक हाथ या एक पैर की हानि से है।

स्वीकृत कर्ता अधिकारी कौन

- ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत
- नगरीय क्षेत्रों में आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी

आवेदन करने का स्थान

- निवासरत ग्राम पंचायत कार्यालय या जनपद पंचायत कार्यालय में
- नगर निगम या जोनल कार्यालय में या मुख्य नगर पालिका कार्यालय में

8.1.5 उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना

- पंजीकृत श्रमिक को उनके व्यवसाय की उन्नति हेतु जिस संवर्ग का श्रमिक है उसी संवर्ग के लिये उपकरण क्रय हेतु बैंक से ऋण का 10 प्रतिशत या 5 हजार जो भी कम हो अनुदान के रूप में देय है।
- अनुदान का यह लाभ पंजीबद्ध श्रमिक को 60 वर्ष की उम्र तक एक बार प्राप्त करने की पात्रता है।

स्वीकृत अधिकारी

- ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत
- नगरीय क्षेत्रों में आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी

आवेदन करने का स्थान

- निवासरत ग्राम पंचायत कार्यालय या जनपद पंचायत
- नगर निगम या जोनल कार्यालय में या मुख्य नगर पालिका कार्यालय में

8.1.6 प्रसूति सहायता योजना

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, इस योजना के लिए नोडल विभाग है। गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक/ एएनएम द्वारा प्रसव पूर्व जांच करने पर 4 हजार तथा शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने पर 12 हजार की सहायता। इस राशि में जननी सुरक्षा योजना एवं प्रथम प्रसव हेतु प्रधान मंत्री मातृवंदना योजना की राशि सम्मिलित है।

पात्रता

- 18 वर्ष से अधिक की गर्भवती महिला एवं प्रसूताओं को।
- संबल पंजीयन होना आवश्यक है।
- बीपीएल कार्डधारी
- प्रसूति सहायता शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने की स्थिति में ही देय होगी।
- प्रसूति सहायता का लाभ प्रथम दो जीवित जन्म प्रसव हेतु ही मान्य है।

स्वीकृत कर्ता अधिकारी

- उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी, सीएचसी प्रभारी
- सिविल अस्पताल हेतु संस्था प्रभारी सिविल अस्पताल
- जिला अस्पताल/शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
- शासकीय चिकित्सा महाविघालय हेतु अधीक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्याालय

8.1.7 नि:शुल्क चिकित्सा योजना

- पंजीकृत असंगठित श्रमिकों व उनके परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रूपये तक के इलाज की पात्रता।
- शासकीय चिकित्सालयों तथा आयुष्मान भारत सहायता योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त अशासकीय चिकित्सालयों में इलाज कराने पर निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है।

चिकित्सा हेतु आवेदन की प्रक्रिया

राज्य बीमारी सहायता योजना के अन्तर्गत चिन्हित गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में सीधे संपर्क कर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

8.1.8 शिक्षा प्रोत्साहन (उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा हेतु)

महाविघालयों में प्रवेश पाने वाले असंगठित श्रमिक परिवारों के बच्चों को प्रवेश शुल्क में छूट का प्रावधान है।

इंजीनियरिंग के छात्रों के लिये

पंजीबद्ध श्रमिक परिवार का कोई भी ऐसा छात्र जिसने जेईई मेंस की परीक्षा में 1–5 लाख के भीतर की रेंक प्राप्त की हो उसे किसी भी शासकीय या अशासकीय महाविघालय में निःशुल्क प्रवेश की पात्रता होगी।

मेडिकल की पढ़ाई के लिये

कोई भी ऐसा छात्र जिसका परिवार संबल योजना में पंजीबद्ध हो ऐसे छात्र के द्वारा यदि नीट या कोई अन्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो उसे प्राइवेट या शासकीय महाविघालय में निःशुल्क प्रवेश की पात्रता होगी।

8.1.9 सरल बिजली बिल योजना (उर्जा विभाग)

- पात्रता धारी हितग्राही को प्रतिमाह केवल 100 रूपये ही बिजली बिल का भुगतान करना होगा।
- पात्रता धारी हितग्राही को बिना किसी शुल्क के विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया जायेगा।

अपात्र कौन है

प्रतिमाह 1000 युनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले या घर में एयरकंडीशनर जैसे विद्युत उपकरण का उपयोग करने वाले हितग्राही योजना के लाभ हेतु पात्र नहीं हैं।

8.2 इंदिरा गृह ज्योति योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : ऊर्जा विभाग
प्रारंभ दिनांक रू 01/09/2019

योजना का विवरण	योजना अंतर्गत 150 यूनिट मासिक खपत पर सब्सिडी की पात्रता है। मासिक 100 युनिट की खपत पर अधिकतम 100 रू. बिल दिया जायेगा व अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जावेगी जिसका स्वीकृत भार 1 किलोवाट होना चाहिए। 100 यूनिट से अधिक एवं पात्रता युनिट की सीमा तक शेष युनिटों के लिये मध्यप्रदेश नियामक आयोग द्वारा जारी प्रचलित टेरिफ आदेश में निर्धारित दर के अनुसार बिल देय होगा। 100 यूनिट से अधिक खपत के कारण नियत प्रभार में वृद्धि होने पर तत्संबंध में अंतर की राशि हितग्राही द्वारा स्वयं वितरण कंपनी को देय होगी।
लाभार्थी	योजना का लाभ ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत 150 युनिट तक है।
लाभ	30 दिन में 150 युनिट तक खपत पर हितग्राहियों को बिल में सब्सिडी प्रदान की जाती है।
आवेदन कैसे करें	योजना का लाभ इस श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओ को पात्रता युनिट होने पर स्वतः ही बिलिंग सिस्टम से दिया जा रहा है।

8.3 प्रधानमंत्री जन धन योजना

योजना क्रियान्वयन विभाग : वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय
योजना प्रारंभ दिनांक : 24/08/2014

क्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना

प्रधानमंत्री जन धन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जिसका मकसद उन लोगों को बैंकिग व्यवस्था के दायरे में लाना है, जो अभी भी इससे बाहर हैं। इसके माध्यम से लोगों को वित्तीय सेवाओं, बैंक बचत तथा जमा खाते, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच बनाना है। यह खाता किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक में शून्य बेलेंस पर खोला जा सकता है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना का उददेश्य

1. प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उददेश्य आर्थिक रूप से पिछडे लोगों का बचत खाता खुलवाना है।
2. सभी का खाता खुलवाकर उन्हें दुर्घटना या व्यक्तिगत बीमा का लाभ दिलाना ताकि उनके परिवार में किसी की जन हानि होने पर आर्थिक सहायता मिल सके।
3. लोगों की बैंक तक पहुंच हो और वो नई–नई तकनीकों का उपयोग करें या उस पर समझ बढ़ायें।

4. आवश्यकता होने पर लाभ ले सकें।
5. पैसे की बचत हो एवं मनरेगा या अन्य शासकीय योजनाओं के माध्यम से मिलने वाली आर्थिक सहायता लाभार्थी के खाते में ही जाये।

प्रधानमंत्री जन धन खाता खोलने के लिये आवश्यक दस्तावेज

प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज में मुख्य रूप से–

- आधार कार्ड अनिवार्य है यदि आधार कार्ड हितग्राही के पास है तो उसे अन्य किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड न होने पर खाता खुलवाने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है –
  - मतदाता परिचय पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / राशनकार्ड
  - पेन कार्ड
  - पासपोर्ट फोटो

जन धन योजना से निम्न प्रकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं

1. जमा राशि पर ब्याज
2. एक लाख रूपये तक का बीमा कवर
3. न्यूनतम राशि का कोई बंधन नहीं
4. प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत 30 हजार रूपये तक का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की छतिपूर्ति पर देय है।
5. पूरे भारत में पैसों का आसानी से अन्तरण

समर्थन के बारे में .....

समर्थन एक गैर सरकारी संस्था है जो विगत 25 वर्षों से मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में सहभागी अभिशासन एवं विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से काम कर रही है। हमारा प्रयास नागर समाज की संस्थाओं, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की क्षमतावृद्धि कर उन्हें मजबूत बनाना है, ताकि नागरिकों और राज्य के बीच एक सहयोगी सेतु निर्मित हो जिससे वंचितों की आवाज बुलन्द हो सके।

संस्था मुख्यतः सहभागी शोध एवं जमीनी सच्चाइयों से उभरे ठोस आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी आम नागरिकों के हितों में मौलिक अधिकारों एवं प्राथमिक सेवाओं की पैरवी करती है। हमारा लक्ष्य पंचायती राज संस्थाओं और बुनियादी स्तर के समूहों को मजबूत करना एवं उनकी क्षमतावृद्धि करना है। ताकि वे विकेन्द्रीकृत विकास और अभिशासन के मुद्दों को आगे बढ़ा सकें।

समर्थन द्वारा वर्ष 2018 में यूएनएफपीए के सहयोग से युवाओं की सूचना और सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने में विभागीय अभिसरण मॉडल विकसित करने के उद्देश्य से छतरपुर जिले में अपने काम की शुरूआत की। विगत एक वर्ष से संस्था लैंगिक भेदभाव और महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा की रोकथाम हेतु छतरपुर जिले में कार्य कर रही है। जिसके तहत घरेलू हिंसा की रोकथाम एवं निराकरण में पंचायती राज संस्थाओं और अन्य हितधारक, जैसे – आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम., महिला शक्ति समूह, युवा, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता संस्थाओं की सक्रिय भूमिका स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

TRI TRANSFORM RURAL INDIA

ट्रांस्फार्मिंग रूरल इन्डिया फाउंडेशन (टीआरआईएफ)
प्रधान कार्यालय : 3, कम्युनिटी शॉपिंग सेन्टर, नीति बाग, नई दिल्ली–49
वेबसाइट – www.trif.in

स म र्थ न

सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट (समर्थन)
प्रधान कार्यालय : 36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल–462016
ई–मेल info@samarthan.org, वेबसाइट – www.samarthan.org